व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
तथा
ग्रामीण विकास विभाग

2.3 उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन

2.3.1 परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को *दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना* (डीडीयू-जीकेवाई) की उदघोषणा की गयी थी, जो कि 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के निर्धन ग्रामीण युवाओं को नियोजन-सह-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन[1] (एनआरएलएम) का एक अंग है, जिसे ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता जोड़ने एवं ग्रामीण युवाओं की कॅरिअर आकांक्षाओं के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने का काम सौंपा गया है। यह योजना त्रि-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल का अनुसरण करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में डीडीयू-जीकेवाई की राष्ट्रीय इकाई, राष्ट्रीय नीति निर्माण, वित्तपोषण, तकनीकी सहायता एवं सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण थी। राज्य में, सामान्य रूप से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों में समाहित डीडीयू-जीकेवाई राज्य कौशल मिशनों को, डीडीयू-जीकेवाई हेतु सह-वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के कार्य में मुख्य भूमिका निभाना था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, परियोजनाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं।

2.3.1.1 उत्तर प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन

डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को जुलाई 2016 से कार्य योजना[2] राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में,

---

[1] दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) भारत सरकार का एक प्रमुख निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए स्थायी एवं विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध होंगे।

[2] डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अंतर्गत, राज्यों को कार्य योजना एवं वार्षिक योजना राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। आन्ध्र प्रदेश राज्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वार्षिक योजना राज्यों के मामले में, ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करता है।

यह योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य में कार्यान्वित की जा रही थी जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी[3] के रूप में स्थापित है एवं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त निधियां, राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग को निर्गत की जाती हैं, जो अग्रेतर राज्यांश सहित केन्द्रांश को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अवमुक्त करता है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार के स्तर पर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का नेतृत्व, प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव करते हैं, जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की राज्य कार्यकारी समिति के प्रमुख भी हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई का नेतृत्व मिशन निदेशक करते हैं, जिन्हें डीडीयू-जीकेवाई योजना के काम की देखरेख के लिए उप निदेशकों, सहायक निदेशकों एवं राज्य परियोजना प्रबंधक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जनपद स्तर पर, क्रियान्वयन स्तर तक पहुंचने के लिये, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के पास जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा द्वारा 2016-22 की अवधि के लिए डीडीयू-जीकेवाई योजना के अभिलेखों की जांच[4], मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के कार्यालय में की गयी। प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के कार्यालय से भी सूचनाएं एकत्र की गयीं। 'उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन' पर सम्पादित निष्पादन लेखापरीक्षा, डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं[5] के कार्यान्वयन पर केंद्रित थी। वार्षिक योजना एवं कार्य योजना 2016-19 में स्वीकृत परियोजनाओं में से, पच्चीस प्रतिशत

[3] उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी।

[4] फरवरी-अप्रैल 2022, जून-जुलाई 2022 एवं जनवरी 2023 की अवधि मे|

[5] वार्षिक योजना: 22 परियोजनाएं एवं कार्य योजना 2016-19: 88 परियोजनाएं।

परियोजनाओं को नमूना जांच के लिए प्रतिदर्श विधि[6] द्वारा चयनित किया गया था। इस प्रकार, निष्पादन लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच हेतु वार्षिक योजना की पांच परियोजनाओं एवं कार्य-योजना 2016-19 की 23 परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 2.3.1)*** का चयन किया गया था। कार्य योजना 2019-22 के संबंध में, भारत सरकार द्वारा समय-सीमा बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गयी थी। चूंकि, निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, कार्य योजना 2019-22 की परियोजनाएं अभी भी प्रगति पर थीं, इसलिए निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत केवल परियोजनाओं के चयन एवं अनुमोदन से संबंधित मुद्दों की जांच की गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली पर चर्चा के लिए, राज्य सरकार के साथ, एक प्रारम्भिक बैठक आयोजित (24 मई 2022) की गयी। मसौदा प्रतिवेदन, फरवरी 2023 में राज्य सरकार को प्रेषित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा, जुलाई 2023 में, मसौदा प्रतिवेदन का उत्तर प्रेषित किया गया। अग्रेतर, राज्य सरकार के साथ आयोजित समापन बैठक (16 अगस्त 2023) में मसौदा प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में यथास्थान सम्मिलित किया गया है, एवं राज्य सरकार की टिप्पणियों को जनवरी 2024 तक अद्यतन किया गया है।

2.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलित करना था कि क्या-

- डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में आयोजना पर्याप्त थी;
- निधियों को योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों एवं मानदंडों के अनुसार निर्गत किया गया था एवं उनका उचित उपयोग किया गया था; एवं
- दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित एवं उसका अनुश्रवण किया गया था।

[6] प्रतिस्थापन के बिना आकार के लिए आनुपातिक संभावना विधि।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम दिशा-निर्देश, जुलाई 2016;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत डीडीयू-जीकेवाई मानक संचालन प्रक्रिया भाग- I एवं भाग- II;
- डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार /उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश/ आदेश/अधिसूचनायें।

2.3.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6.1 आयोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूर्ववर्ती आजीविका कौशल[7] योजना (अब डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश को वार्षिक योजना राज्य से वार्षिक कार्य योजना राज्य में परिवर्तित करने के लिए अनुमोदन (सितंबर 2014) प्रदान किया एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया। वार्षिक कार्य योजना 2014-15 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा आजीविका कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत दो लाख प्रशिक्षुओं को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित था, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरएलएम की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया (सितंबर 2014) गया था। तथापि, वार्षिक कार्य योजना 2014-15 के कार्यान्वयन में खराब प्रदर्शन के कारण, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 के लिए कार्य योजना को स्वीकृति नहीं दी एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को निर्देश दिया (अक्टूबर 2015) कि वर्तमान कार्य योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति होने के बाद नयी कार्य योजना प्रारम्भ की जायेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश की स्थिति, कार्य योजना राज्य के रूप में किये जाने की पुष्टि (जुलाई 2016) की गयी एवं डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत कार्य योजना 2016-19 को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत 1.84 लाख प्रशिक्षुओं को आच्छादित करने का प्रस्ताव था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत प्रशिक्षण

[7] आजीविका कौशल दिशानिर्देशों (सितंबर 2013) के अंतर्गत, राज्यों को दो में वर्गीकृत किया गया था - आप राज्य एवं गैर आप (वार्षिक योजना) राज्य।

के लिए 97,139 प्रशिक्षुओं को आच्छादित करने वाली 88 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वार्षिक योजना से कार्य योजना राज्य में संक्रमण के एक भाग के रूप में, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को वार्षिक योजना की 27 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरित (सितंबर 2016) किया । उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन के लिए आयोजना में कमियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परणामों पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

(i) कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजार का अध्ययन

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.1 में प्रावधान है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को कौशल एवं नियोजन के लिए ग्राम पंचायत-वार मांग की पहचान करने के लिए स्वयं या संव्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से विस्तृत ग्राम पंचायत-वार कौशल अंतर आंकलन किये जाने की आवश्यकता होगी। राज्य के भीतर एवं बाहर के क्षेत्रों में नौकरियों के लिए कौशल आवश्यकता का आकलन करने के लिए श्रम बाजारों का उचित अध्ययन भी समय-समय पर किये जाने की आवश्यकता थी। ऐसी प्रक्रिया इस लिए परिकल्पित की गयी थी, ताकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन[8], मोबिलाइजेशन, रोजगार मेलों, सूचना, शिक्षा एवं संचार, आदि के लिए जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य निर्धारित कर सकें तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का सार्थक मूल्यांकन भी कर सकें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा डीडीयू-जीकेवाई की कार्य योजना 2016-19 के लिए, कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजारों के अध्ययन की गतिविधियां सम्पादित नहीं की गयीं थीं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के चयन हेतु आमंत्रित प्रस्ताव के लिए निवेदनों (आर एफ पी) में प्रशिक्षण के जनपद-वार एवं कौशल क्षेत्र-वार लक्ष्यों को प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों का सार्थक मूल्यांकन नहीं किया जा सका था।

[8] डीडीयू-जीकेवाई योजना में परिकल्पना की गई थी कि एसआरएलएम सामान्यत इस योजना को राज्य स्तर पर कार्यान्वित करेगा। तथापि, उत्तर प्रदेश में यह योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जनपद स्तर पर गठित कौशल विकास समिति द्वारा जनपद कौशल विकास योजना प्रस्तुत की जाती है। यह समिति जनपद की मांग एवं जनपद के भीतर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को देखते हुए पाठ्यक्रमों के आधार पर लक्ष्यों को आवंटित करने की जानकारी प्रदान करती है। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि संकल्प योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में जनपद कौशल विकास योजना प्रारम्भ हुई थी, जिसके लिए कौशल अंतर आंकलन नहीं किया गया था एवं 15-35 आयु वर्ग के निर्धन ग्रामीण युवाओं की संख्या का आंकलन भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजारों के अध्ययन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां सम्पादित नहीं की गयी एवं कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत परियोजना लक्ष्यों को अव्यवस्थित रूप से निर्धारित किया गया था।

(ii) राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना तैयार न किया जाना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 4.6 में प्रावधान है कि कार्य योजना राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात, राज्य को अगले वर्ष में राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना प्रस्तुत करनी थी। राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना का उद्देश्य, मध्यम अवधि (सात वर्ष) में कौशल की आवश्यकताओं जिसमें प्रशिक्षित एवं नियोजित किये जाने वाले युवाओं की संख्या, ऐसे व्यावसायों एवं व्यावसायिक क्षेत्र जिनके भीतर प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, नवोन्मेष एवं विशेष परियोजनाओं को परिलक्षित करना था।

कार्य योजना राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति की पुष्टि जुलाई 2016 में की गई थी। अतः यह अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, वर्ष 2017 तक राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना प्रस्तुत करेगा। तथापि, कार्य योजना राज्य का दर्जा प्राप्त करने के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना तैयार नहीं की गयी थी।

समापन बैठक में चर्चा के समय राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2023) कि भविष्य में राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस नहीं बनाया जाना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.1 में प्रावधान है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में डीडीयू-जीकेवाई योजना से लाभान्वित होने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों के विवरण के साथ एक राज्यव्यापी युवा डाटाबेस भी बनाया जाना था।

यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान, राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस नहीं बनाया गया था या उसके पास उपलब्ध नहीं था। इस डाटाबेस के अभाव में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उन ग्रामीण युवाओं के विवरण जानने की स्थिति में नहीं था, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में डीडीयू-जीकेवाई से लाभान्वित होने के इच्छुक थे या लाभान्वित होने वाले थे तथा जिससे प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण लक्ष्यों की आयोजना बनायी जा सके।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस हेतु कौशल मित्र पोर्टल विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि कौशल मित्र पोर्टल का पहला चरण दिसंबर 2023 से चल रहा था।

इस प्रकार, राज्य सरकार एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के उत्तर से यह स्पष्ट था कि 2016-22 की अवधि में डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस उपलब्ध नहीं था।

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

डीडीयू-जीकेवाई योजना 60:40 के अनुपात (60 *प्रतिशत* केन्द्रांश एवं 40 *प्रतिशत* राज्यांश) में वित्तपोषित भारत सरकार की एक योजना है। उत्तर प्रदेश में, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्यांश के साथ केन्द्रांश की धनराशि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में डीडीयू-जीकेवाई योजना के समर्पित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। डीडीयू-जीकेवाई योजना में प्राप्त एवं व्यय की गयी धनराशियों[9] का विवरण **तालिका-1** में वर्णित है।

[9] इसमें वार्षिक कार्य योजना 2014-15, वार्षिक योजना (2016 से पहले स्वीकृत), कार्य योजना 2016-19 एवं कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में अवमुक्त एवं व्यय की गयी धनराशि सम्मिलित है।

तालिका 1: 2016-22 के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्राप्त धन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश	बैंक ब्याज	उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि	अंतिम अवशेष
2016-17	214.95	निर्गत नहीं	10.75	10.02	245.78[10]	46.47	199.31
2017-18	199.31	निर्गत नहीं	निर्गत नहीं	8.20	207.51	140.90	66.61
2018-19	66.61	27.78	18.52	3.70	116.61	109.46	7.15
2019-20	7.15	51.03	34.02	1.38	93.58	51.19	42.39
2020-21	42.39	238.08	158.72	3.16	442.35	424.30	18.05
2021-22	18.05	162.63	108.42	9.98	299.08	191.41[11]	107.67

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति, निधियों को अवमुक्त करने में विलम्ब एवं अप्रयुक्त निधियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है:

2.3.7.1 स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को चार किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जानी थी। डीडीयू-जीकेवाई वार्षिक योजना एवं कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति **तालिका 2** में उल्लिखित है।

तालिका 2: स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति

योजना	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (03/2022)	परियोजनाओं में अवमुक्त की गयी किश्तों की संख्या (03/2022)			
			₹ करोड़ में (*प्रतिशत*)	*प्रथम किश्त*	*द्वितीय किश्त*	*तृतीय किश्त*	*चतुर्थ किश्त*
वार्षिक योजना	20[12]	195.63	131.36 (67)	20	17	01	--
कार्य योजना 2016-19	88	800.41	382.99 (48)	88	54	--	--
कुल	**108**	**996.04**	**514.35**	**108**	**71**	**01**	**--**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

[10] नैबकॉन्स द्वारा हस्तांतरित वार्षिक योजना की परियोजनाओं की ₹ 10.06 करोड़ की शेष निधि सहित

[11] उ.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को हस्तांतरित ₹ 150.00 करोड़ सहित

[12] इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बंद की गई दो परियोजनाएं सम्मिलित नहीं हैं

जैसा की उक्त तालिका 2 से स्पष्ट है कि स्वीकृत परियोजनाओं की लागत के सापेक्ष, वार्षिक योजना की परियोजनाओं के संबंध में केवल 67 प्रतिशत निधि एवं कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं में केवल 48 प्रतिशत निधि, मार्च 2022 तक अवमुक्त की गयी थी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित 108 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाओं (66 *प्रतिशत*) को दूसरी किश्त एवं केवल एक परियोजना को तीसरी किश्त प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, वार्षिक योजना एवं कार्य योजना की किसी भी परियोजना में मार्च 2022 तक सभी चार किश्तें अवमुक्त नहीं की गयी थीं, जो यह दर्शाता था कि उपरोक्त परियोजनायें पूर्ण नही हुयी थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी किश्त का भुगतान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि वार्षिक योजना की सभी परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी एवं कार्य योजना 2016-19 में कम प्रगति वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाओं का समापन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2.3.7.2 राज्य सरकार द्वारा निधियों को विलम्ब से अवमुक्त किया जाना

(i) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु उत्तर प्रदेश में आजीविका कौशल योजना के अंतर्गत दो लाख प्रशिक्षुओं हेतु नियोजन सहित कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त (₹ 165.90 करोड़[13]) अवमुक्त किया था | भारत सरकार ने निर्देशित किया था कि राज्य सरकार द्वारा उक्त निधियों को प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर राज्यांश सहित, मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अंतरित किया जाये। इसके साथ ही, निर्धारित अवधि के बाद हस्तांतरण के प्रकरण में, राज्य सरकार, विलम्ब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवमुक्त केन्द्रांश ₹ 165.90 करोड़ को दिसंबर 2014 में राज्य सरकार के खाते में जमा किया गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत चार माह विलंब

[13] वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 82.95 करोड़, ₹ 48.11 करोड़ (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत) एवं ₹ 34.84 करोड़ (जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत)

से केन्द्रांश की धनराशि अंतरित[14] की गयी थी। परिणामस्वरूप, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, केन्द्रांश की धनराशि पर ब्याज के रूप में ₹ 6.64 करोड़[15] के भुगतान की देयता का उपार्जन राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

(ii) कार्य योजना 2016-19 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की स्वीकृत किश्त (₹ 5.83 करोड़) अवमुक्त (मई 2018) की गयी थी। स्वीकृति आदेशों में यह निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकार उक्त निधियों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्यांश के साथ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को आवश्यक रूप से हस्तांतरित करेगी। इसके साथ ही, निर्धारित अवधि के बाद हस्तांतरण के प्रकरण में, राज्य सरकार, विलम्ब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2018 में राज्य सरकार के खाते में, केन्द्रांश की धनराशि ₹ 5.83 करोड़ जमा की गयी थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत दो महीने विलम्ब से केन्द्रांश की धनराशि को हस्तांतरित (नवंबर 2018) किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने निधियों को विलंब से अवमुक्त करने के कारण ₹ 11.66 लाख[16] के ब्याज के भुगतान की देयता उपार्जित की थी।

राज्य सरकार (व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि विलम्ब से धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग को एक पत्र भेजा जायेगा।

2.3.7.3 प्रशासनिक एवं समर्थन लागत का उपभोग न किया जाना

(i) प्रशासनिक लागत

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.9 में व्यस्था दी गयी है कि कौशल से संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के प्रशासनिक व्यय, जिसमें राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्मिक लागत एवं कार्यालय व्यय सम्मिलित हैं, के लिए डीडीयू-जीकेवाई के लिए वर्ष के निर्धारित बजट की कुल धनराशि में से छः प्रतिशत की दर से व्यय की अनुमति दी जायेगी। यह अनुमान लगाया गया था कि इन निधियों का उपयोग राज्य एवं जनपद दोनों में डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक समर्पित

[14] 01 मई 2015।

[15] ₹165.90 करोड़ पर चार माह के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।

[16] दो माह के लिए ₹ 5.83 करोड़ पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई।

पूर्णकालिक टीम स्थापित करने के लिए किया जायेगा। इस टीम में एक मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) एवं आठ राज्य कार्यक्रम प्रबंधक सम्मिलित थे, जो योजना के विभिन्न कार्यों में मुख्य परिचालन अधिकारी की सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य एवं जनपद स्तर पर सहायक कर्मचारियों को भी तैनात किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च 2016 में डीडीयू-जीकेवाई के लिए प्रशासनिक लागत के रूप में ₹ 2.22 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की एवं निर्देशित किया कि धनराशि प्राप्त होने की तिथि के तीन दिनों के भीतर 60:40 के सहभाजन के अनुपात में राज्यांश के साथ धनराशि को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बैंक खाते में अवमुक्त किया जाये। यह धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों की धारा 4.1.1 के अनुसार, स्वीकृति आदेश निर्गत होने के एक महीने के भीतर, राज्य के द्वारा, कौशल के लिए एक समर्पित मुख्य परिचालन अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा समवर्ती अनुश्रवण, मानक एवं गुणवत्ता, भागीदारी नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं विकास, मोबिलाइजेशन एवं आईईसी, नियोजन पश्चात ट्रैकिंग, परियोजना मूल्यांकन एवं निधि निर्गत करने जैसे योजना के मुख्य कार्यों को पूरा करने के लिए, स्वीकृति आदेश जारी होने के चार माह के भीतर, आठ राज्य परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति करना भी अपेक्षित था।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशासनिक लागत अवमुक्त करने के लिये ग्राम्य विकास विभाग से अनुरोध (सितंबर 2017) किया गया। तथापि, मैचिंग अंश[17] के साथ उपरोक्त प्रशासनिक लागत की धनराशि, राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को जून 2021 में अवमुक्त की गयी थी, *अर्थात*, भारत सरकार से मार्च 2016 में अनुदान प्राप्त होने के पांच साल से अधिक समय व्यतीत होने के बाद। वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया गया एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा, राज्य एवं जनपद स्तर पर डीडीयू-जीकेवाई के लिए समर्पित कार्मिक भी नियुक्त नहीं किये जा सके। इस प्रकार, केन्द्रांश की उपलब्धता के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा विलंब किए जाने के कारण योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू कार्यान्वित नहीं किया जा सका। राज्य एवं जनपद स्तरों पर समर्पित कौशल टीमों की नियुक्ति

[17] ₹2.22 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा) + ₹1.48 करोड़ (राज्य का हिस्सा) = ₹3.70 करोड़

डीडीयू-जीकेवाई के 'कार्य योजना' राज्य के रूप में नामित होने के लिए शर्तों में से एक थी, तथापि इस शर्त को अभी तक पूरा नहीं किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश को जुलाई 2016 में ही 'कार्य योजना' राज्य घोषित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशासनिक लागत के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत स्वीकृति (मार्च 2016) में सहायता अनुदान की निर्धारित शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार, निधि की प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों की निर्दिष्ट अवधि से विलम्ब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को ₹ 2.22 करोड़ का केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने में विलम्ब के कारण, दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 1.38 करोड़[18] की देयता राज्य सरकार पर सृजित हुई।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए एक कौशल टीम की नियुक्ति, प्रक्रिया में थी एवं इसे यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा। राज्य सरकार ने अग्रेतर अवगत कराया कि, वर्तमान में, योजना की निगरानी जनपद स्तर पर एमआईएस प्रबंधक एवं मुख्यालय में सहायक प्रबंधक द्वारा की जा रही है, साथ ही योजना के लिए क्रमशः जनपद एवं मुख्यालय दोनों स्तरों पर तकनीकी सहायता सहायक द्वारा किया जा रहा है।

तथ्य यह था कि उ.प्र. में डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए समर्पित कौशल टीम उपलब्ध नहीं थी, जो 'कार्य योजना' राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्तों में से एक थी।

(ii) समर्थन लागत

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्य योजना 2016-19 के सन्दर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत विभिन्न सहायक गतिविधियों पर संबंधित मानक लागत की तुलना में व्यय निम्नानुसार था:

[18] 62 महीनों की अवधि (अप्रैल 2016 से मई 2021 तक) के लिए प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से गणना की गई।

तालिका 3: डीडीयू-जीकेवाई के विभिन्न गतिविधियों पर मानक लागत एवं व्यय

क्र.सं.	व्यय शीर्ष का नाम	डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक लागत[19]	2016-22 के दौरान किया गया व्यय
1	कौशल अंतर आंकलन	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गई कुल परियोजना लागत का *एक* प्रतिशत तक	शून्य
2	सूचना, शिक्षा एवं संचार	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गयी कार्यक्रम लागत का *1.5* प्रतिशत तक	शून्य
3	पुरा-छात्र समर्थन	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गई कुल परियोजना लागत का *1.5* प्रतिशत तक	शून्य
4	क्षमता निर्माण	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गई कुल परियोजना लागत का *3* प्रतिशत तक	शून्य
5	कार्मिक विकासखण्ड स्तर एवं उसके नीचे	प्रति विकासखण्ड ₹ 3.5 लाख तक प्रति वर्ष	शून्य
6	माइग्रेशन सहायता केंद्र	प्रति वर्ष प्रति केंद्र ₹ 10 लाख तक	शून्य

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

उक्त तालिका-3 से स्पष्ट है कि क्रम संख्या एक से छः में उल्लिखित गतिविधियों के लिए समर्थन लागत के रूप में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में कोई व्यय नहीं किया गया था। जो इंगित करता था कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए उल्लिखित इन गतिविधियों को प्रारम्भ नहीं किया गया था, जिसने योजना की प्रगति को प्रभावित किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में समर्थन लागत के अंतर्गत आईईसी, क्षमता निर्माण एवं अनुश्रवण पर ₹ 10.67 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

[19] डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.8 एवं 3.2.1.4

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गतिविधियों पर व्यय नहीं किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया (जनवरी 2024) कि ₹ 10.67 करोड़ में से आईईसी पर ₹ 1.50 करोड़ एवं क्षमता निर्माण पर ₹ 0.35 करोड़ का व्यय अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में किया गया था, जबकि अवशेष ₹ 8.82 करोड़ का व्यय मार्च 2021 से जून 2023 की अवधि में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में रोजगार मेले से संबंधित था।

योजना का कार्यान्वयन

2.3.8 वार्षिक योजना की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.3.8.1 अनुमोदित परियोजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी

भारत सरकार द्वारा वार्षिक योजना[20] से 'कार्य योजना' राज्य में संक्रमण के एक भाग के रूप में वार्षिक योजना की 27 परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को स्थानांतरित (सितंबर 2016) किया गया था। इनमें से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 49,525 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ 22 परियोजनाओं[21] को कार्यान्वित किया गया था। इन 22 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों को **तालिका-4** एवं **चार्ट-1** में वर्णित किया गया है:

तालिका 4: वार्षिक योजना की परियोजनाओं के लक्ष्य के उपलब्धि में कमी

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लक्ष्य		उपलब्धि (मार्च 2022)		कमी (*प्रतिशत में*)	
	प्रशिक्षण	नियोजन[22]	प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन
22[23]	49525	34668	41908	21126	7617(15)	13542(39)

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

[20] दिसंबर 2013 से मई 2014 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत।

[21] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को स्थानांतरित की गई 27 परियोजनाओं (फरवरी 2017) में से तीन परियोजनाओं की स्थिति को स्थानांतरण पत्र में रद्द किये जाने के रूप में उल्लेख किया गया था एवं दो अन्य परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन, स्थानांतरण के समय निष्पादित नहीं किए गए थे।

[22] कुल प्रशिक्षित का *70* प्रतिशत।

[23] सीतापुर शिक्षण संस्थान की दो बंद (अक्टूबर 2016 एवं नवंबर 2016) परियोजनाओं सहित।

चार्ट 1: मार्च 2022 में स्वीकृत वार्षिक योजना की परियोजनाओं की भौतिक प्रगति

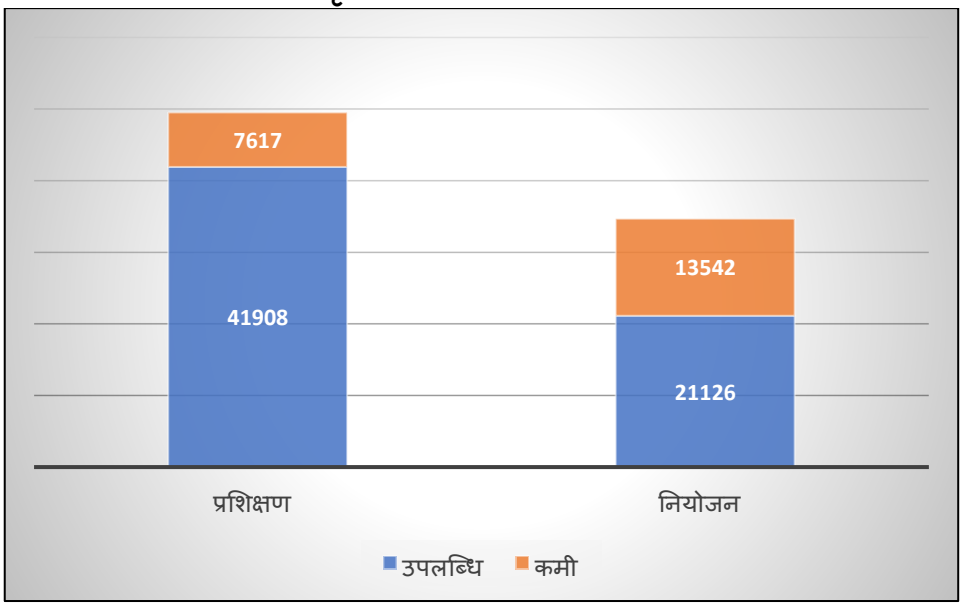

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि वार्षिक योजना की सभी 22 परियोजनाओं के प्रशिक्षण केंद्र निष्क्रिय थे, क्योंकि मार्च 2022 तक इन परियोजनाओं के संबंध में कोई सक्रिय केंद्र उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, वार्षिक योजना परियोजनाओं ने प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वार्षिक योजना की सभी परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, प्रशिक्षण एवं नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.8.2 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में अनियमित समय-विस्तार दिया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वार्षिक योजना की 20 चल रही परियोजनाओं[24] की प्रगति की समीक्षा (जुलाई 2017) की एवं यह पाया कि इनमें से अधिकांश परियोजनाओं ने दो से तीन साल बीत जाने के बाद भी अपने प्रशिक्षण/ नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। इसलिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की आवश्यकताओं के अनुसार 18 परियोजनाओं[25] को अधिकतम एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है।

[24] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित 22 वार्षिक योजना की परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं अक्टूबर एवं नवंबर 2016 में बंद हो गयी थीं ।

[25] समीक्षा बैठक में प्रशिक्षण एवं नियोजन मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण दो परियोजनाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 परियोजनाओं में से, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 17 परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 2.3.2)*** के प्रकरण में एक वर्ष का विस्तार दिया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा एक वर्ष के प्रथम विस्तार को स्वीकृति देने के पश्चात, 15 परियोजनाओं में एक वर्ष एवं दो परियोजनाओं में छः माह का अतिरिक्त समय विस्तार दिया गया, जो एक वर्ष का अधिकतम समय-विस्तार प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक (जुलाई 2017) में लिए गए निर्णय का उल्लंघन था। अग्रेतर, पाया गया कि इन 17 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल मिलाकर अवमुक्त की गयी ₹ 117.07 करोड़ की धनराशि के उपरांत भी छः परियोजनाओं के प्रकरण में प्रशिक्षण लक्ष्य एवं 12 परियोजनाओं में नियोजन लक्ष्य, अनुचित समय-विस्तार प्रदान किए जाने के बाद भी प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वार्षिक योजना की सभी परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है एवं उन सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों जिनकी प्रगति कम थी, को वसूली हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को दिये गये अनियमित समय-विस्तार के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.8.3 दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से भुगतान की वसूली न किया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक (जुलाई 2017) में यह निर्देशित किया गया था कि स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष प्रशिक्षण एवं नियोजन का संचालन नहीं करने के दृष्टिगत, दो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यथा 'श्रीराम न्यू होराइजन' एवं 'सहज ई-विलेज' की परियोजनाओं को बंद कर दिया जाये तथा इन परियोजनाओं को भुगतान की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूल की जाये। यह भी निर्देश दिया गया था कि तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि की गणना की जायेगी एवं वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

लेखापरीक्षा के दौरान जांच से पता चला कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा दो साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत उपरोक्त निर्देशों पर कार्यवाही की गयी थी एवं इन दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना समाप्त किए जाने की सूचना प्रेषित (सितंबर 2019) की गयी, जिसमें मेसर्स सहज ई-विलेज एवं मेसर्स श्रीराम न्यू होराइजन

को भुगतान की गई क्रमशः ₹ 3.73 करोड़[26] एवं 0.80 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करने के निर्देश दिये गये थे । तथापि, समीक्षा बैठक (जुलाई 2017) में ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत, वसूली जाने वाली दण्डात्मक ब्याज की धनराशि का उल्लेख समाप्ति सूचना में नहीं किया गया था, यद्यपि समाप्ति सूचना में उल्लेख किया गया था कि समझौता ज्ञापन के दण्डात्मक धारा को लागू किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मई 2020 में बंद कर दिया गया था। तथापि, भुगतान की गई धनराशि एवं उस पर दण्डात्मक ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। जबकि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन समझौता ज्ञापन के धारा 13.1 के अनुसार राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 अथवा अन्य लागू कानूनों एवं संविधियों के उपबंधों का सहारा लेकर धनराशि की वसूली के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता था। लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकरण को उद्धृत किये (जुलाई 2022) जाने के बाद, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान, किये गये ₹ 4.48 करोड़ एवं दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 4.83 करोड़[27] की वसूली के लिए पत्र प्रेषित (अक्टूबर 2022) किये थे । इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी थी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार डीडीयू-जीकेवाई निधियों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार अवगत कराया गया (जुलाई 2023) कि 6 अक्टूबर 2022 तक देय ब्याज के साथ ₹ 9.31 करोड़ की वसूली के लिये उपरोक्त दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को एक पत्र उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत (अक्टूबर 2022) किया गया था।

2.3.8.4 नियोजन लक्ष्यों को पूर्ण न किये जाने के सापेक्ष परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से भुगतान की वसूली न किया जाना

दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.2.20 के साथ पठित प्रस्तर 3.2.2.3 में यह प्रावधान है कि यदि नियोजन, कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के 50 प्रतिशत से

[26] वसूली पत्र (अक्टूबर 2022) में जारी की गई कुल राशि ₹ 3.68 करोड़ बताई गई थी।

[27] सहज-ई-विलेज- ₹ 4.02 करोड़ एवं श्रीराम न्यू होराइजन- ₹ 0.81 करोड़ जैसा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 06 अक्टूबर 2022 तक की गणना की गई है।

कम है, तो परियोजना को तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा एवं नियोजित किये गये प्रशिक्षुओं के अनुसार यथानुपात भुगतान किया जायेगा।

वार्षिक योजना की परियोजनाओं की मार्च 2021 तक भौतिक प्रगति आख्या के अनुसार, वार्षिक योजना की 10 परियोजनाओं में नियोजन की प्रगति प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के 50 प्रतिशत से कम थी। इन परियोजनाओं का विस्तारित समय अक्टूबर 2019 एवं मई 2020 के मध्य समाप्त हो गया था। इस प्रकार, प्रावधानों के अनुसार इन परियोजनाओं को समाप्त किया जाना अपेक्षित था एवं नियोजित किये गये प्रशिक्षुओं की संख्या के अनुसार केवल यथानुपात भुगतान किया जाना अनुमन्य था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने इन 10 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियोजन लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने के बाद भी इनको किये गये ₹ 42.91 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान[28] की वसूली (मार्च 2022 तक) नहीं की गयी थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3.3*** में उल्लिखित है।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2023) कि वर्तमान में वार्षिक योजना की सभी परियोजनायें समाप्त किये जाने की स्थिति में थीं, जिनमें से दो परियोजनायें (आईसीए एवं ओरियन एडूटेक) समाप्त की जा चुकी थीं एवं शेष सभी परियोजनाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि वसूली एवं भुगतान दिशा-निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

2.3.9 कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.3.9.1 कार्य योजना 2016-19 के लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्य योजना **2016-19** के लिए **1,84,520** प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य को स्वीकृति प्रदान **(**जुलाई **2016)** की थी। इन लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि तालिका-**5** में उल्लिखित है।

तालिका 5: मार्च 2022 तक प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों में कमी

अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य (अ)		स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार लक्ष्य (ब)		कमी (*प्रतिशत में*) (अ)-(ब)=(स)	
प्रशिक्षण	नियोजन[29]	प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन
184520	129164	97139	67997	87381(47)	61167(47)

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

[28] दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथानुपात आधार पर लेखा परीक्षा द्वारा तैयार की गयी।

[29] कुल प्रशिक्षित का *70* प्रतिशत।

तालिका-5 से स्पष्ट है कि कार्य योजना 2016-19 के लिए 1,84,520 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 97,139 (53 प्रतिशत) के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप कार्य योजना के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण लक्ष्यों में 47 प्रतिशत की कमी आयी थी। जिसकी चर्चा आगे के प्रस्तर *2.3.9.2* में की गयी है |

अग्रेतर, कार्य योजना 2016-19 में स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धि में कमी **तालिका-6** एवं **चार्ट-2** में प्रदर्शित की गयी है:

तालिका 6: कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लक्ष्य		मार्च 2022 तक की उपलब्धि		कमी *(प्रतिशत में)*	
	प्रशिक्षण	नियोजन[30]	प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन
88	97139[31]	67997	46073	16063	51066 (53)	51934 (76)

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

तालिका-6 से स्पष्ट है कि स्वीकृत परियोजनाओं के प्रशिक्षण एवं नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति में क्रमशः 53 *प्रतिशत* एवं 76 *प्रतिशत की विचारणीय कमी थी*। तथापि, अग्रेतर यह पाया गया कि कार्य योजना 2016-19 की 88 परियोजनाओं में से 44 (50 *प्रतिशत)* प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति किये बिना मार्च 2022 तक निष्क्रिय थे।

चार्ट 2: कार्य योजना की स्वीकृत परियोजनाओं की मार्च 2022 तक की भौतिक प्रगति

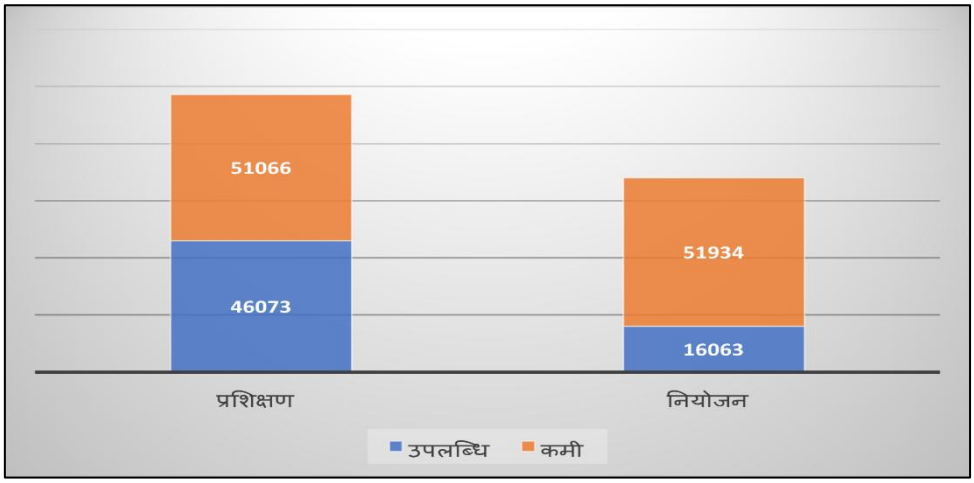

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

[30] कुल प्रशिक्षित का *70* प्रतिशत

[31] ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना (2016-19) के अनुसार, प्रशिक्षण एवं नियोजन का कुल लक्ष्य क्रमशः 184520 एवं 129164 था।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2023) कि में बताया गया कि कार्य योजना 2016-19 में कम प्रगति वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनायें समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

2.3.9.2 प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित करने में विलम्ब एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों पर निष्क्रियता

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्य योजना 2016-19[32] में उत्तर प्रदेश के लिए डीडीयू-जीकेवाई हेतु 1,84,520 ग्रामीण निर्धन युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य अनुमोदित (जुलाई 2016) किया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी (जनवरी 2024) सूचनाओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मई 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि में प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करने के लिए तीन अधिसूचनाएं निर्गत की गयी थीं, जिसका विवरण **तालिका-7** में प्रदर्शित है।

तालिका 7: कार्य योजना 2016-19 के लिए प्रस्तावों के लिए अनुरोध का विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावों के लिए अनुरोध की अधिसूचना	जमा करने की अंतिम तिथि	प्रशिक्षण लक्ष्य
1	सं. 236 दिनांक 4 मई 2017	31-07-17	70000
2	सं. 2945 दिनांक 4 दिसंबर 2017	31-12-17	25000
3	सं. 2633 दिनांक 14 दिसंबर 2018	12-01-19	उल्लेख नहीं किया गया

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

तालिका-7 से यह दृष्टिगत है कि कार्य योजना 2016-19 हेतु, प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित करने के लिए तीन अधिसूचनाएं निर्गत की गयी थी, जिनमें मात्र प्रथम दो अधिसूचनाओं में प्रशिक्षण लक्ष्य उल्लिखित थे। कार्य योजना 2016-19 के लिए प्रथम प्रस्तावों के लिए अनुरोध, मई 2017 में आमंत्रित किया गया था, अर्थात कार्य योजना की स्वीकृति के 11 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावों के लिए अनुरोध की अधिसूचनाओं[33] में जनपद-वार, कौशल क्षेत्र/व्यावसाय-वार आवश्यकता का कोई विवरण अंकित नहीं था।

[32] अनुमोदित कार्य योजना में लक्ष्य के वर्ष-वार विभाजन का उल्लेख नहीं किया गया था।

[33] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने बार-बार मांग-पत्रों एवं अनुस्मारकों के उपरांत भी प्रस्तावों के लिए अनुरोध की कोई अन्य अधिसूचना एवं आमंत्रण, प्राप्त एवं अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा (नवंबर 2017) की एवं अगस्त 2017 तक *प्रशिक्षण लक्ष्य के* केवल सात प्रतिशत एवं नियोजन लक्ष्य के दो *प्रतिशत* की भौतिक प्रगति को संज्ञान में लेते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को, वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तत्काल कदम उठाने एवं मार्च 2019 तक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया था। तथापि, **तालिका-7** स्पष्ट है कि कार्य योजना 2016-19 के लिए आरएफपी जनवरी 2019 तक आमंत्रित किया गया था, जिसके कारण कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं के समाप्ति की अवधि मार्च 2019 (नमूना हेतु चयनित परियोजनाओं में सितंबर 2021 तक भी) के भी आगे चली गयी थी। इसके साथ ही, प्रशिक्षण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किये जाने की गति भी धीमी थी। कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्षवार विवरण **तालिका-8** में प्रदर्शित है।

तालिका 8 : कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	प्रशिक्षण लक्ष्य स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत
2016-17	03	7550
2017-18	42	57758
2018-19	43	31831

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

यह इंगित करता था कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने, मार्च 2019 तक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक (नवंबर 2017) में दिये गये निर्देशों पर कोई कार्य नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि कार्य योजना 2016-19 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2016 में अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात्, अन्य कार्यवाही पूरी करते हुए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रस्तावों के लिए अनुरोध निर्गत किया गया था एवं उक्त प्रस्तावों के लिए अनुरोध में, पूर्ण लक्ष्य का आवंटन न किए जाने के कारण प्रस्तावों के लिए अनुरोध पुनः निर्गत किया गया था, जिसके कारण उक्त प्रक्रिया में विलंब हो गया था। तथापि, मार्च 2019 तक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों का पालन नही किये जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी।

2.3.9.3 चिन्हित जोखिमों पर विचार किये बिना परियोजनाओं का चयन किया जाना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य योजना 2016-19 की 23 नमूना जाँच हेतु चयनित परियोजनाओं में से, दो परियोजनाओं को, परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के मूल्यांकन आख्या में चिन्हित किये गये जोखिमों पर विचार किये बिना स्वीकृति दी गई थी, जिसका विवरण अधोलिखित है:

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	**परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (नैबकॉन्स[34]) के मूल्यांकन आख्या में की गयी टिप्पणियां**	**परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की संस्तुति**	**लेखापरीक्षा अवलोकन**
तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी द्वारा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की वित्तीय क्षमता की जांच, उसके द्वारा डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत संचालित अन्य परियोजनाओं की तुलना में की गयी| परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की राजस्थान राज्य में विगत स्वीकृत परियोजना के पश्चात, सीमित वित्तीय पात्रता (₹1.06 लाख) थी।	आवेदक की सीमित वित्तीय पात्रता पर विचार करने के उपरांत, परियोजना अनुमोदन समिति के अनुमोदन हेतु संस्तुति की जा सकती थी।	परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि मूल्यांकन एजेंसी ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के लिए अनुवर्ती प्रस्ताव के लिए अवशेष वित्तीय सीमा का आकलन किया था जो केवल ₹ 1.06 लाख थी। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने ₹ 3.37 करोड़ के परियोजना के लिये (13 दिसंबर 2017) आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मूल्यांकन आख्या की संस्तुति की अनदेखी करते हुए परियोजना को स्वीकृति (जून 2018) प्रदान की गयी थी। इस प्रकार, जो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, मात्र ₹ 1.06 लाख रुपये की परियोजना के लिए पात्र था, को ₹ 3.37 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, 475 के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष, उपलब्धि केवल 274 (57 प्रतिशत) एवं 70 प्रतिशत के नियोजन लक्ष्य के

[34] नैबकॉन्स (नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज) को कार्य योजना 2016-19 की डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की प्रारंभिक स्क्रीनिंग एवं गुणात्मक मूल्यांकन के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (नैबकॉन्स[34]) के मूल्यांकन आख्या में की गयी टिप्पणियां	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की संस्तुति	लेखापरीक्षा अवलोकन
			सापेक्ष, मार्च 2022 तक उपलब्धि 111 (58 प्रतिशत) थी।
पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (नैबकॉन्स) ने मूल्यांकन आख्या में उल्लेख किया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में प्रारम्भ की गई डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के नियोजन के आकड़ें उपलब्ध कराये थे। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पिछले डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं में नियोजित किये जाने का दावा करने वाले 30 प्रशिक्षुओं के नमूने में से, नैबकॉन्स ने पाया कि प्रशिक्षण के बाद किसी को नियोजन प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, नियोजन पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का प्रदर्शन बहुत खराब था।	परियोजना अनुमोदन समिति उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की जा सकती है। तथापि, नैबकॉन्स ने पहचाने गए जोखिमों का संदर्भ भी दिया था।	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने नियोजन के जोखिम क्षेत्र की अनदेखी करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के 3,500 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के प्रस्ताव के सापेक्ष 2,600 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए परियोजना की स्वीकृति प्रदान (सितंबर 2017) की, जबकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नियोजन का प्रदर्शन बहुत खराब बताया गया था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि इस परियोजना में प्रशिक्षुओं के नियोजन की स्थिति खराब थी क्योंकि मार्च 2022 तक 734 प्रशिक्षुओं (अर्थात प्रशिक्षित 1,048 प्रशिक्षुओं में से 70 प्रतिशत) के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 201 प्रशिक्षुओं (27 प्रतिशत) को नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 2.3.11.4 (iii) में चर्चा के अनुसार नियोजन के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरणों का उपयोग किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत मनोनयन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन, नामित मूल्यांकन एजेंसी (पूर्ववर्ती एजेंसी नैबकॉन्स) द्वारा किया गया था एवं नैबकॉन्स को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना मूल्यांकन एजेंसी ने मूल्यांकन रिपोर्टों में चिन्हित किये गये जोखिमों का संकेत दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने परियोजनाओं के अनुमोदन से पहले इन जोखिमों पर ध्यान नहीं दिया।

2.3.9.4 निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन न किया जाना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 4.5 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त निर्गत होने के 48 घंटे के भीतर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाना था। अग्रेतर, डीडीयू-जीकेवाई के मानक संचालन प्रक्रिया के प्रस्तर 3.2 के अनुसार, समझौता-ज्ञापन के निष्पादन से 10 दिनों के भीतर पहली किश्त निर्गत करना सुनिश्चित किया जाना था एवं पहली किश्त निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर पहले बैच का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच के लिए चयनित कार्य योजना 2016-19 की 23 परियोजनाओं के प्रकरणों में यह पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता-ज्ञापनों के निष्पादन, पहली किश्त निर्गत करने एवं पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू करने में विचारणीय विलम्ब हुआ। 19 परियोजनाओं में समझौता-ज्ञापन के निष्पादन में 16 से 155 दिन, 18 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्रथम किश्त निर्गत किय जाने में दो से 226 दिन ***(परिशिष्ट 2.3.4 अ)*** एवं प्रथम बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ करने में 21 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में 14 से 112 दिन ***(परिशिष्ट 2.3.4 ब)*** का विलंब पाया गया था। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि परियोजना अनुमोदन समिति के बाद, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को समझौता-ज्ञापन पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से वांछित अभिलेख प्राप्त करने के बाद ही समझौता-ज्ञापन किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को उनके द्वारा प्रस्तुत

अभिलेखों की जांच करने जैसे बैंक गारंटी के सत्यापन के बाद ही पहली किश्त निर्गत की जाती है। समापन गोष्ठी में, राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया (अगस्त 2023) गया कि भविष्य में समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.3.9.5 निष्पादन बैंक गारंटी का नवीनीकरण न किया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह निर्देशित किया गया (सितंबर 2017) था कि डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नई परियोजना के लिए, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को कुल अनुमोदित लागत के 6.25 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य की एक बैंक से निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा। अग्रेतर, यह सुनिश्चित किया जाना था कि बैंक से प्राप्त निष्पादन गारंटी, समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि/उससे पहले से शुरू होने वाली अवधि से ले कर, परियोजना की अनुमोदित अवधि के समाप्त होने के 180 दिनों तक वैध रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डीडीयू-जीकेवाई परियोजना में निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारम्भ इस उद्देश्य के लिए किया गया था ताकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपर्याप्त या विलंबित प्रदर्शन या दिशा-निर्देशों या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को एक आश्वासन सुनिश्चित कराया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य योजना 2016-19 की 23 नमूना परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाओं में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एक वैध निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिनके समझौता-ज्ञापन पर अधिसूचना की तिथि के बाद हस्ताक्षर किये गए थे। तथापि, यह पाया गया कि इन 16 परियोजनाओं में निष्पादन बैंक गारंटी समाप्त (मार्च 2022 तक) हो गई थी एवं परियोजनाओं की विस्तारित अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.3.5)***। इस प्रकार, उपर्युक्त 16 परियोजनाओं में निष्पादन बैंक गारंटी के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश (सितंबर 2017) का अनुपालन नहीं किया गया था। कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं की खराब प्रगति को देखते हुए, परियोजना को अंतिम रूप देने तक निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता महत्वपूर्ण थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत, परियोजना अनुमोदन समिति की चौथी बैठक से पूर्व के सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर बैंक गारंटी अनिवार्य नहीं था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि समाप्त हो चुकी बैंक गारंटियों के नवीनीकरण के लिए मिशन कार्यालय से पत्र निर्गत किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त 16 परियोजनाओं में वैध निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इन परियोजनाओं, को परियोजना अनुमोदन समिति की चौथी बैठक के बाद अनुमोदित किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3.5*** में वर्णित है।

2.3.9.6 परियोजना निधि को अनियमित रूप से चालू खाते में रखा जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना (जनवरी 2015) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गैर-धारा 25 कंपनी के रूप में पंजीकृत को छोड़कर सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को डीडीयू-जीकेवाई योजना की परियोजना निधियों को बचत बैंक खाते में रखना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 23 नमूना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में से, 21 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ***(परिशिष्ट 2.3.6)*** ने डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के लिए चालू खाता खोला था। तथापि, इन 21 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में से पांच, ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में पंजीकृत थे, लेकिन यह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के लिए चालू खाते का संचालन कर रहीं थीं। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने मार्च 2022 तक इन पांच परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 29.37 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की थी, जिसका विवरण **तालिका 9** में उल्लिखित है।

तालिका 9: ट्रस्ट एवं सोसायटी के रूप में पंजीकृत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा चालू खाते का संचालन

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की प्रकृति	कुल परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	मार्च 2022 तक अवमुक्त धनराशि (₹ करोड़ में)
1	इंदिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन	ट्रस्ट	14.94	11.21
2	निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	सोसाइटी	3.67	2.74
3	स्वर्गीय महाबीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान	सोसाइटी	4.50	3.38
4	सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	सोसाइटी	14.99	7.36
5	मास इन्फोटेक सोसाइटी (P2)	सोसाइटी	9.45	4.68
	कुल		**47.55**	**29.37**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के लिए बचत बैंक खाते के संचालन के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के लिए एकल नोडल खाता (एसएनए) संचालित किया जा रहा है एवं पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के एसएनए खाते में किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 2016-22 की अवधि में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के चालू खाते में अनियमित रूप से ₹ 29.37 करोड़ की परियोजना निधि अवमुक्त की थी।

2.3.9.7 अनधिकृत भुगतान/अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाना

(i) अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी (तकनीकि सहायता एजेंसी)[35] के रिपोर्ट (सितंबर 2019), के अनुसार जेआईटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुच्छेद 8.3 (परियोजना निधि प्रबंधन) एवं 8.7.1 (परियोजना के अंतर्गत खरीदी जाने वाली संपत्ति) का उल्लंघन करते हुए, परिसंपत्तियों की खरीद के लिए क्रमशः सावधि जमा पर ₹ 2.00 करोड़ एवं संपत्ति खरीदने के लिए ₹ 19.93 लाख की परियोजना निधि का अनियमित रूप से उपयोग किया गया था। तकनीकी सहायता एजेंसी की संस्तुति पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर ₹ 0.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया (फरवरी 2020) एवं व्यावर्तित किए गए निधि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज (₹ 19.93 लाख) 20 फरवरी 2020 तक जमा करने का आदेश दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ₹ 0.50 लाख की अर्थदण्ड की धनराशि, डीडीयू-जीकेवाई के परियोजना खाते से जमा (फरवरी 2020) की गयी थी न कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के स्वनिधि से। अग्रेतर, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तद्दिनांक (जुलाई 2022) तक उपार्जित ब्याज की धनराशि को जमा नहीं किया गया था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अर्थदण्ड जमा करने

[35] नैबकॉन्स।

के लिए परियोजना निधि का अनधिकृत उपयोग करने एवं व्यावर्तित निधि पर उपार्जित ब्याज जमा न करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर लगाए गए अर्थदण्ड का भुगतान उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को किया गया था एवं व्यावर्तित किए गये निधि पर अर्जित ब्याज को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को आगामी अवमुक्त किये जाने वाले निधि से समायोजित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने स्वनिधि से भुगतान करने के बजाय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अर्थदण्ड जमा करने के लिए परियोजना निधि का उपयोग किया था, जो डीडीयू-जीकेवाई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुछेद 8.3 का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को धनराशि का उपयोग विनिर्दिष्ट रूप से परियोजना के उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ii) इसी तरह, फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) को, अवमुक्त परियोजना निधि में से ₹ 1 करोड़ के सावधि जमा सृजित किये जाने (सितंबर 2018) के लिए दंडित किया गया था एवं फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा ₹ 0.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया था। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने न तो अर्थदण्ड की धनराशि जमा की एवं न ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मार्च 2022 तक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के दायित्वहीन व्यवहार के कारण, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वसूली नोटिस निर्गत (सितंबर 2022) किया गया था एवं परियोजना समाप्त करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई थी।

(iii) एक अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, खातूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड ने अवमुक्त परियोजना निधि की प्रथम किश्त की धनराशि ₹ 3.73 करोड़ में से ₹ 3.25 करोड़ की सावधि जमा (अप्रैल 2018) का सृजन कर लिया था। तकनीकी सहायता एजेंसी की संस्तुति (सितंबर 2019) पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर

₹ 0.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया (फरवरी 2020) एवं 15 दिनों के भीतर लागू दिनों के लिए 10 प्रतिशत के ब्याज के साथ व्यावर्तित निधि (₹ 3.25 करोड़) वापस करने का निर्देश दिया । लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से न तो ₹ 1.30[36] करोड़ ब्याज के साथ व्यावर्तित ₹ 3.25 करोड़ की धनराशि एवं न ही 0.50 लाख रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि अवमुक्त धनराशि की वसूली के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस/वसूली पत्र जारी किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि वसूली के लिए संबंधित जिलाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया गया था जो लंबित है।

2.3.9.8 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुचित लाभ प्रदान करना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.2.20 में, एक परियोजना में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खराब प्रदर्शन करने पर, की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। यदि नए प्रवेशकों के लिए एक वर्ष की अवधि में उपलब्ध परिणाम संतोषजनक नहीं है, अर्थात् प्रशिक्षण पूर्ण होने के तीन माह के भीतर, प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों का 49 प्रतिशत एवं उससे कम नियोजन किया जाता है, तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना में प्रशिक्षण बंद करने के लिए कहा जायेगा। ऐसे प्रकरणों में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को नियोजन के लिए यथानुपात आधार पर भुगतान किया जायेगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अन्तर्गत कार्य योजना 2016-19 में खातूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) को ₹ 14.93 करोड़ (फरवरी 2018) की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 1,900 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ, मार्च 2018 में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 3.73 करोड़ रुपये की पहली किश्त अवमुक्त की गई थी। अग्रेतर, डीडीयू-जीकेवाई योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को न्यूनतम 1,330 प्रशिक्षुओं अर्थात प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं *का* 70 प्रतिशत नियोजन सुनिश्चित करना था। तथापि, मार्च 2022 तक प्रशिक्षित 736 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष नियोजन के सन्दर्भ में परियोजना की प्रगति शून्य थी।

[36] 4 वर्षों के लिए रु. 3.25 करोड़ पर @10 प्रतिशत (अप्रैल 2018 से मार्च 2022)।

इसी तरह, एक अन्य नमूना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में, यह देखा गया कि 504 प्रशिक्षुओं के नियोजन लक्ष्य के सापेक्ष, मार्च 2018 में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹1.25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने के उपरांत भी मार्च 2022 तक, कोई नियोजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य योजना 2016-19 की सात अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत ₹ 13.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने के बावजूद, मार्च 2022 तक उनके द्वारा कोई भी नियोजन प्रदान नहीं किया जा सका था। इन सभी नौ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण एवं नियोजन के संदर्भ में उपलब्धि (मार्च 2022 तक) का विवरण **तालिका-10** में दिखाया गया है।

तालिका 10: प्रशिक्षण एवं नियोजन लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	पहली किस्त भुगतान की तिथि	भुगतान की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	परियोजना के प्रारंभ की तिथि	मार्च 2022 तक प्रशिक्षण		मार्च 2022 तक नियोजन	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	खातूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड	26-03-2018	3.73	03-05-2018	1900	736	1330	0
2	डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	27-03-2018	1.25	03-05-2018	720	202	504	0
3	टॉप्स सिक्योरिटी लिमिटेड	25-04-2018	4.99	25-05-2018	2050	206	1435	0
4	एसीएमई इंडिया माइक्रोसिस प्राइवेट लिमिटेड	04-09-2018	1.25	04-10-2018	510	119	375	0
5	विदर्भ बहुउद्देशिया शिक्षण संस्थान	03-10-2018	0.99	03-11-2018	432	97	302	0
6	चाणक्य फाउंडेशन	27-12-2018	1.24	21-01-2019	485	98	340	0
7	एरेस सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन	27-12-2018	1.85	21-01-2019	550	70	385	0
8	शक्ति इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	06-11-2018	1.16	06-12-2018	600	30	420	0
9	अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	15-05-2019	1.80	09-06-2019	900	0	630	0
योग			**18.26**		**8147**	**1551**	**5721**	**शून्य**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

जैसा कि **तालिका-10** में वर्णित है, एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (मेसर्स अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड) ने प्रशिक्षुओं को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया था। अग्रेतर, आठ अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का नियोजन मार्च 2022 तक शून्य था, यहां तक कि प्रारंभ होने के तीन साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी। इसलिए, डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के धारा 3.2.2.20 के अनुसार इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों पर कार्यवाही की जा सकती थी एवं इन परियोजनाओं को समाप्त कर, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान की गई धनराशि वसूल की जानी चाहिए थी। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इनमें से आठ[37] परियोजनाओं को समय-विस्तार[38] (सितंबर 2021 एवं मार्च 2022) दिया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की इस कार्यवाही से न केवल इन खराब निष्पादन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया बल्कि यह योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन भी था, साथ ही, इन नौ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से दण्डात्मक ब्याज के साथ भुगतान की गई ₹ 18.28 करोड़ की धनराशि की वसूली आज तक नहीं हो पायी थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशा-निर्देशों के धारा 3.2.2.20 में निहित निर्देशों का पालन करते हुए, उन सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्यालय-आदेश जारी किए गए थे, जिनका नियोजन प्रतिशत कार्य योजना 2016-19 तक 50 प्रतिशत से कम था। इसके अतिरिक्त, खराब प्रदर्शन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को वसूली हेतु पत्र भी प्रेषित किये गये थे।

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की विलम्बित कार्यवाही से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुचित लाभ हुआ एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को सुनिश्चित नियोजन प्रदान करने की योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

[37] अर्थकॉन के मामले में परियोजना के पूरा होने की अवधि जून 2022 तक थी।

[38] क्रम संख्या 1 सितंबर 2022 तक, क्रम संख्या 2,4,5,6,7 मार्च 2023 तक, क्रम संख्या 3 नवंबर 2022 तक, क्रम संख्या 8 23 जून तक (तालिका 11)

2.3.9.9 तकनीकी सहायता एजेंसी को अनियमित रूप से संयोजित किया जाना एवं निधि अवमुक्त किया जाना

दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 6.3 में प्रावधान है कि राज्य सरकारें, डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के अनुश्रवण के लिए सक्षम तकनीकि सहायता एजेंसी की सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। यदि समवर्ती अनुश्रवण का कार्य आउटसोर्स किया जा रहा है तो विशिष्ट समझौता ज्ञापन किये जाने की आवश्यकता है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 6.3 का उल्लेख करते हुए डीडीयू जीकेवाई परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में नैबकॉन्स की नियुक्ति के लिए अनुमति (मार्च 2016) प्रदान की थी, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए नैबकॉन्स को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में संयोजित (मई 2016) किया गया था। आगे यह पाया गया कि सेवाओं के क्रय की प्रक्रियाओं[39] को अपनाए बिना तकनीकी सहायता एजेंसी को संयोजित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं नैबकॉन्स के बीच इस उद्देश्य के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर, संयोजित किये जाने के चार साल के बाद, 24 जून 2019 को किए गए थे। इस प्रकार, नैबकॉन्स के लिए समझौता-ज्ञापन के नियम एवं शर्तें 24 जून 2019 से लागू हुई। तथापि, समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुश्रवण लागत का नैबकॉन्स को भुगतान किया गया था। समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना नैबकॉन्स को ₹ 3.99 करोड़[40] की धनराशि का अनियमित भुगतान (मार्च एवं अक्टूबर 2018) किया गया था। अग्रेतर, यह पाया गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी ने परियोजनाओं का कठोर अनुश्रवण नहीं किया था। प्रमुख सचिव द्वारा पर्यवेक्षण में यह पाया (29 जनवरी 2020) गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी के कार्य की गुणवत्ता की कठोर समीक्षा की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक द्वारा नैबकॉन्स को निर्गत एक पत्र में उल्लेख किया गया था कि यदि नियमित अंतराल पर गुणवत्तापूर्ण कठोर अनुश्रवण

[39] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने सूचित किया (जनवरी 2024) कि डीडीयू-जीकेवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन परामर्श एवं अन्य सेवाओं की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा जारी परामर्श एवं अन्य सेवाओं के लिए क्रय मैनुअल, 2017 का पालन करता है।

[40] ₹ 2.31 करोड़ (मार्च 2018) + ₹ 1.68 करोड़ (अक्टूबर 2018)।

किया गया होता तो कार्य योजना 2016-19 की चल रही 105 परियोजनाएं पूरी हो सकती थीं। इस प्रकार, नैबकॉन्स को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में संयोजित करना एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना अनुश्रवण लागत का भुगतान किया जाना अनियमित था।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में डीडीयू-जीकेवाई के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए उपाध्यक्ष, नैबकॉन्स को प्रेषित एक पत्र (मई 2016) की प्रति प्रदान की। तथापि, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का अनुसरण किए बिना तकनीकी सहायता एजेंसी की अनियमित नियुक्ति एवं समझौता-ज्ञापन निष्पादित किये बिना अनुश्रवण लागत का भुगतान किये जाने पर उत्तर मौन था।

2.3.9.10 तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा अनुबंध का अनुपालन न किया जाना

दिशा-निर्देशों के अनुसार डीडीयू-जीकेवाई योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं तकनीकी सहायता एजेंसी (ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी) के बीच 25 सितंबर 2020 को 36 माह के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी के द्वारा कार्य में शिथिलता का संज्ञान उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को माह अक्टूबर 2020 से था। तकनीकी सहायता एजेंसी ने जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर योजना की प्रभावी अनुश्रवण एवं कुशल कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता से संबंधित अनुच्छेद 3.2.2 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा योजना का वास्तविक समय के अनुसार अनुश्रवण किये जाने के लिए ढांचा विकसित नहीं किया गया, जिसके कारण प्रशिक्षुओं की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी एवं योजना के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित हुई।

अग्रेतर, तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के अनुच्छेद 17 (जनशक्ति तैनाती) के प्रावधान का अनुपालन भी नहीं किया गया था। उसने अनुबन्ध में किये गये प्रावधान के अनुसार आवश्यक 41 कार्मिकों (लगभग 425 परियोजनाओं के लिए) के सापेक्ष केवल 21 कार्मिकों को नियुक्त किया था। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के 18 माह से अधिक समय तक तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा इन महत्वपूर्ण प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया

गया था। तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना, अनुबन्ध के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दण्डात्मक प्रावधान को आमंत्रित करता था। उक्त उल्लिखित प्रकरणों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा ही इंगित किया गया था एवं मार्च 2022 में तकनीकी सहायता एजेंसी को सूचित किया गया था था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की थी। बल्कि, मार्च 2022 तक तकनीकी सहायता एजेंसी को ₹ 2.88 करोड़ का भुगतान किया गया था। पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती में कमी एवं वास्तविक समय पर आधारित अनुश्रवण प्रणाली के लिए वांछित ढांचा विकसित न किया जाना, तकनीकी सहायता एजेंसी के द्वारा अनुबंध का अनुपालन न किया जाना एवं योजना के शिथिल अनुश्रवण को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि समझौता-ज्ञापन के अनुसार, संसाधनों का आवश्यक अनुपात, सक्रिय परियोजना केंद्रों के संबंध में बनाये रखना था। समझौता-ज्ञापन के अनुसार तकनीकी सहायता एजेंसी ने अनुपात को बनाये रखा है। अग्रेतर, तकनीकी सहायता एजेंसी को भुगतान किया गया शुल्क, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्गत की गई पहली किश्त के सापेक्ष अग्रिम है, जो समझौता ज्ञापन के अनुसार ही है। तथापि, अक्टूबर 2020 में, राज्य में व्यापक रूप से फैले कोरोनावायरस के कारण, कोई भी प्रशिक्षण केंद्र काम नहीं कर रहा था। तकनीकी सहायता एजेंसी ने 30 संसाधन व्यक्तियों को तैनात किया एवं अवधि में अनुपात बनाये रखा।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि समझौता-ज्ञापन के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में, तकनीकी सहायता एजेंसी को मार्च 2022 तक 409 सक्रिय[41] परियोजनाओं के अनुसार 40 कार्मिकों[42] को तैनात करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, केवल 30 संसाधन व्यक्तियों की तैनाती समझौता ज्ञापन का उल्लंघन थी, जिसमें परियोजना एवं संसाधन के अनुपात को बनाये रखने का प्रावधान किया गया था। अग्रेतर, योजना के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा व्यापक ढाँचा विकसित न किये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

[41] समझौते में उल्लिखित 425 परियोजनाओं के लिए 41 पेशेवरों के अनुपात में गणना की गई।

[42] 20 वार्षिक योजना परियोजनाएं, 88 कार्य योजना 2016-19 परियोजनाएं एवं 301 कार्य योजना 2019-22 परियोजनाएं।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने कहा कि तकनीकी सहायता एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.3.10 कार्य योजना 2019-22 परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन

2.3.10.1 कार्य योजना 2019-22 के लक्ष्य की स्वीकृति में कमी

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति, ने 2,25,000 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश के लिए डीडीयू-जीकेवाई की कार्य योजना 2019-22 को स्वीकृति (फरवरी 2019) दी। प्रशिक्षण लक्ष्य में 1,41,616 नये प्रशिक्षु एवं 83,384 प्रशिक्षु सम्मिलित थे, जिन्हें वर्तमान कार्य योजना 2016-19 से प्रशिक्षित किए जाने का अनुमान था। सितंबर 2019 तक कार्य योजना 2019-22 लक्ष्य के सभी लक्ष्य को स्वीकृति देने एवं सभी लक्ष्यों की स्वीकृति के लिए जल्द से जल्द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने दिसंबर 2019 में प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित किया था जिसे जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया था। यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत 307 परियोजनाओं[43] में से 301 परियोजनाओं को स्वीकृति आदेश (जुलाई 2020 से मई 2021 की अवधि) निर्गत किये, जिसमें 1,41,616 प्रशिक्षुओं के नये लक्ष्य के सापेक्ष 1,50,765 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण लक्ष्य था। इस प्रकार, कार्य योजना 2019-22 की स्वीकृत परियोजनाओं में पिछले कार्य योजना 2016-19 से संबंधित केवल 9,149 प्रशिक्षुओं[44] की कमी को आच्छादित किया गया। तथापि, शेष कमी को पूर्ण करने के लिए कोई अन्य परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत 28 फरवरी 2019 के कार्यवृत्त के अनुसार, कार्य योजना 2019-22 के लिए 2,25,000 के कुल लक्ष्य के मुकाबले केवल 1,41,616 प्रशिक्षुओं को आवंटित किया जाना था। 83,384 के शेष लक्ष्य को कार्य योजना 2016-19 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) के समय, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि दिये गये उत्तर का फिर से विश्लेषण किया जायेगा एवं जल्द से जल्द सूचित किया

[43] मार्च 2022 तक 06 परियोजनाओं के मामले में स्वीकृति आदेश जारी नहीं किए गए थे।

[44] 150765-141616=9149।

जायेगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने (जनवरी 2024) पुष्टि की कि कार्य योजना 2016-19 एवं कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत क्रमशः 88 एवं 307 परियोजनाओं को स्वीकृति देकर लक्ष्य हासिल किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य योजना 2016-19 की 88 स्वीकृत परियोजनाओं एवं कार्य योजना 2019-22 की 307 स्वीकृत परियोजनाओं में 247904[45] प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण लक्ष्य को आच्छादित किया गया था, जबकि उक्त दोनों कार्य योजनाओं में सम्मिलित रूप से अनुमोदित प्रशिक्षण लक्ष्य 326136[46] प्रशिक्षुओं का था। इस प्रकार, कार्य योजना 2016-19 एवं कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत प्रशिक्षित होने वाले 78232 प्रशिक्षुओं की कमी रह गयी थी।

2.3.10.2 कार्य योजना *2019-22 हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की चयन प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना*

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 17 दिसंबर 2019 को डीडीयू-जीकेवाई के कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित किये। परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अवधि 19 दिसंबर 2019 से 30 दिसंबर 2019 तक थी, जिसे बाद में 10 जनवरी 2020 तक समय-वृद्धि दिया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कार्य योजना 2019-22 के लिए कुल 955 प्रस्ताव प्राप्त होने की आख्या मिली थी। प्रस्तावों की सूची के जांच में निम्नानुसार तथ्य सामने आये:

- कार्य योजना 2016-19 के लिए आरएफपी की अंतिम तिथि[47] एवं कार्य योजना 2019-22 के लिए आरएफपी के प्रकाशन की तारीख[48] से पहले 118 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिसमें से 29 प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किये गये थे।
- कार्य योजना 2019-22 के लिए आरएफपी की अवधि में 380 प्रस्ताव प्राप्त हुये एवं इनमें से 134 को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

[45] 97139 (88 परियोजनाओं का लक्ष्य) + 150765 (307 परियोजनाओं का लक्ष्य) = 247904।

[46] 184520 (कार्य योजना 2016-19 का लक्ष्य) + 141616 (कार्य योजना 2019-22 की नई परियोजनाओं के लिए लक्ष्य) =326136।

[47] 05 जनवरी 2019।

[48] 17 दिसंबर 2019।

- आरएफपी की अंतिम तिथि[49] (1 मई 2020 तक प्राप्त) के बाद 218 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये एवं इनमें से 92 को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

इस प्रकार, आरएफपी के प्रकाशन से पहले एवं बाद में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार करना एवं उन पर विचार करना अनियमित था, जो आरएफपी आमंत्रण के उद्देश्य को विफल करता है एवं चयन प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि इस संबंध में 'कुडुम्बश्री'[50] (परियोजना मूल्यांकन एजेंसी) से उत्तर की उम्मीद की गई थी, जिसके लिए पत्राचार किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने आगे बताया (जनवरी 2024) कि 'कुडुम्बश्री' के उत्तर की प्रतीक्षा है।

2.3.10.3 खराब प्रदर्शन करने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का कार्य योजना 2019-22 हेतु पुनः चयन किया जाना

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2019-22 की 13 परियोजनाओं को 11 ऐसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को सौंप दिया, जिन्हें पहले वार्षिक योजना एवं कार्य योजना 2016-19 में परियोजनाएं आवंटित की गई थीं। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि चार खराब प्रदर्शन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को फिर से कार्य योजना 2019-22 में परियोजनायें आवंटित की गयी थी, जिसका आगे के प्रस्तर में चर्चा की गयी है:

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना अनुमोदन समिति ने अपनी बैठक (मई 2020) में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत पूर्व आवंटित परियोजनाओं में उनके असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[51] के परियोजना प्रस्तावों को निरस्त कर दिया। तथापि, इन तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति की पिछली बैठक (जनवरी 2020) में तीन अन्य परियोजनाओं हेतु पहले ही स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जुलाई से दिसंबर 2020 के दौरान स्वीकृति आदेश निर्गत की गई थी, अर्थात इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को अस्वीकार करने के परियोजना अनुमोदन समिति के फैसले के बाद। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास

[49] 10 जनवरी 2020।

[50] यह केरल सरकार का गरीबी उन्मूलन मिशन है।

[51] सेंटर ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ई-आश्रम इन्फोटेक एवं दक्ष अकादमी।

मिशन ने तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की ₹ 20.81 करोड़ की तीन परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ा एवं ऐसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 5.21 करोड़ की धनराशि (मार्च से मई 2021) अवमुक्त की, यद्यपि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा खराब प्रदर्शन के लिए अस्वीकार कर दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि 9वीं परियोजना अनुमोदन समिति 31 जनवरी 2020 को बुलाई गई थी एवं 10वीं परियोजना अनुमोदन समिति 5 मई 2020 को बुलाई गई थी, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। 10वीं परियोजना अनुमोदन समिति में प्रस्तुत परियोजनाओं द्वारा राज्य में पहले से ही किए जा रहे प्रशिक्षण एवं रोजगार को देखते हुए, लक्ष्य आवंटन केवल उन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को किया गया था जिन्होंने आवंटित लक्ष्य के मुकाबले 50 प्रतिशत *एवं 60* प्रतिशत रोजगार दर्ज किया था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापनों को निष्पादित एवं साथ ही परियोजनाओं के लिए स्वीकृति, 10 वीं परियोजना अनुमोदन समिति में इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को उनके असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अस्वीकार करने के बाद दी गई थी।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) के समय, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जायेंगे कि भविष्य में इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।

(ii) अग्रेतर देखा गया कि वार्षिक योजना के एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[52] को फिर से (जनवरी 2021) कार्य योजना 2019-22 में ₹ 4.73 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति प्रदान किया गया था। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति ने उसके खराब प्रदर्शन के लिए अस्वीकार (मई 2020) कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने फिर से परियोजना को स्वीकृति (सितंबर 2020) के लिए प्रस्तावित करते हुए कहा कि एमपीआर पोर्टल के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने मार्च 2020 तक 1,001 प्रशिक्षुओं का नियोजन किया था, जो लक्ष्य का 51.50 *प्रतिशत* था। अग्रेतर यह उल्लेख किया गया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एमआरआईजीएस पोर्टल पर उपरोक्त डेटा अपलोड नहीं किया गया था, जिसके कारण तकनीकी सहायता

[52] ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रा.लि.।

एजेंसी रिपोर्ट में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन का उल्लेख 20.20 *प्रतिशत* था एवं इसलिए, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को पहले अस्वीकार कर दिया गया था। इस परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की परियोजना को एसीएस, वीएसईडी जो परियोजना अनुमोदन समिति के अध्यक्ष भी थे, के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि, परियोजना अनुमोदन समिति की स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के पक्ष में परियोजना को स्वीकृति (जनवरी 2021) प्रदान की गयी थी।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की मार्च 2021 एवं मार्च 2022 की प्रगति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी क्रमशः 632 एवं 720 प्रशिक्षुओं का नियोजन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा सितंबर 2020 में प्रस्तुत प्रगति, जिसमें 1,001 प्रशिक्षुओं के नियोजन का संकेत दिया गया था, सही नहीं था, एवं परियोजना को गलत नियोजन आंकड़े पर अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा एक बार अस्वीकार किए जाने के बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति की औपचारिक स्वीकृति के बिना अनियमित रूप से स्वीकृति प्रदान किया गया था एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 1.18 करोड़ की धनराशि (मार्च 2022) अवमुक्त की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि प्रकरण में जांच के बाद डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक अर्थदण्ड एवं अन्य कार्यवाही की जा रही है।

2.3.10.4 कार्य योजना *2019-22 के लिए परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की अनुचित नियुक्ति*

परामर्श एवं अन्य सेवाओं के क्रय नियमावली 2017 में प्रावधान है कि 'सभी योग्य सेवा प्रदाताओं/सलाहकारों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए' एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2019-22 के लिए परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (पीएए) के रूप में 'कुडुम्बश्री' को नियुक्त किया एवं इस उद्देश्य के लिए 9 अक्टूबर 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। यह पाया गया कि पीएए का

चयन 9 सितंबर 2019 के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक पत्र का उल्लेख कर नामांकन पर आधारित था, जिसमें यह कहा गया था कि 16 अगस्त, 2016 के पत्र में उल्लिखित एजेंसियों के अलावा, 'कुडुम्बश्री' को एक मूल्यांकन एजेंसी के रूप में भी नामांकित किया गया था, एवं राज्यों के पास उचित अनुमोदन के बाद इसे पीएए के रूप में रखे जाने का विकल्प था। पूर्ववर्ती पत्र (अगस्त 2016) में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा चयनित पांच मूल्यांकन एजेंसियों के अलावा, राज्य पीएए के रूप में सम्मिलित होने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एवं एनआईआरडी पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, ये एजेंसियां पीएए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी योग्य थीं एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, इन एजेंसियों को ईओआई/आरएफपी आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया एवं अपारदर्शी तरीके से नामांकन आधार पर पीएए की सीधे नियुक्ति की। अग्रेतर यह पाया गया कि पीएए के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन एक वर्ष तक (8 अक्टूबर 2020) वैध था। तथापि, 'कुडुम्बश्री' समझौता ज्ञापन की वैधता के बाद भी परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन[53] करती रही।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि 'कुडुम्बश्री' को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के रूप में चयन किया गया था एवं मूल्यांकन शुल्क अन्य मूल्यांकन एजेंसियों की तुलना में कम पाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न तो अन्य पीएए के मूल्यांकन शुल्क की तुलना के लिए कोई तुलनात्मक चार्ट लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया था एवं न ही पीएए के चयन के लिए टिप्पणी में ऐसे कोई कारण का उल्लेख किया गया था।

2.3.11 नियोजन

डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम से कम 70 *प्रतिशत* प्रशिक्षुओं को न्यूनतम वेतन या उससे अधिक मासिक वेतन वाली नौकरियों में नियोजन का आश्वासन प्रदान किया गया है। इस क्रम में नियोजन को, नियमित वेतन के साथ तीन माह तक लगातार कार्य करने के रूप में

[53] 'कुडुम्बश्री' ने 08-10-2020 के बाद 12 डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं का मूल्यांकन किया।

परिभाषित किया गया है। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वार्षिक योजना की परियोजनाओं एवं कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा कराये गए नियोजनों में पायी गई अभ्युक्तियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

2.3.11.1 नियोजन सुनिश्चित न किया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती आजीविका कौशल योजना (वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना 2014-15 को स्वीकृत (सितंबर 2014) किया गया था, जिसका लक्ष्य दो लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ, उनमें से 1.5 लाख प्रशिक्षुओं (कुल प्रशिक्षितों का 75 *प्रतिशत*) को नियोजन प्रदान करना था। वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को संबोधित (दिसम्बर 2014) करते हुए मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी की न्यूनतम 75 *प्रतिशत* नियोजन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण आयोजित करने एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से कम से कम 75 प्रतिशत को अनिवार्य रूप से नियोजित करने के निर्देश निर्गत (दिसंबर 2014) किये गये थे, जैसा कि वार्षिक कार्य योजना 2014-15 में अनुमोदित किया गया था। अग्रेतर यह पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 47,439 प्रशिक्षुओं के लिए 1,771 प्रशिक्षण बैचों को अनुमोदन (दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक) प्रदान किया गया था। इस संदर्भ में, वार्षिक कार्य योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (दिसंबर 2015) में पाया गया कि 92 प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा बिना किसी सत्यापित नियोजन के 47,439 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कराया गया था तथा इस पर ₹ 6.99 करोड़ का व्यय किया गया था। इस बीच, वार्षिक कार्य योजना 2014-15 की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा (जनवरी 2016) के पश्चात, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं नियोजन की नगण्य प्रगति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के समापन हेतु एक कार्य योजना/माइलस्टोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा न तो

शेष 1,52,561 प्रशिक्षुओं[54] को प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं न ही वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से 75 *प्रतिशत* का नियोजन सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त अग्रेतर जनवरी 2016 से मार्च 2021 की अवधि में 47,439 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के सापेक्ष, ₹ 46.66 करोड़ का व्यय किया गया था। इस प्रकार वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु डीडीयू-जीकेवाई निधि से निर्गत धनराशि में से ₹ 53.65 करोड़ का व्यय, योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का वांछित नियोजन सुनिश्चित किए बिना किया गया।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (अगस्त 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई मानदंडों के स्थान पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मानदंडों के अनुसार सभी भुगतान किए गए थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने आगे स्पष्ट किया (जनवरी 2024) कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मानदंडों के अनुसार, प्रशिक्षण लागत का 80 प्रतिशत भुगतान किया गया था तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा भुगतान दावों को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण, भुगतान दिसंबर 2015 के पश्चात किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की शर्तों एवं नियमों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से 75 प्रतिशत का नियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्देशित किया गया था। तथापि, प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से किसी को भी नियोजित नहीं किये जाने के तथ्य को स्वीकार करने (दिसंबर 2015) के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण लागत का भुगतान अग्रेतर किया गया था।

2.3.11.2 कैप्टिव नियोजन की प्रतिबद्धता पूर्ण न किया जाना

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक कैप्टिव नियोक्ता[55] के रूप में प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, आई सी ए एडु स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड को, कार्य योजना 2016-19 के लिए ₹ 24.52 करोड़ की परियोजना स्वीकृत (जून 2017) की गई थी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने, अपने परियोजना प्रस्ताव में, कुल 2,450 प्रशिक्षुओं के नियोजन लक्ष्य में से, 1,500 प्रशिक्षुओं को कैप्टिव नियोजन प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त

[54] 2,00,000 - 47,439 = 1,52,561।

[55] परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करती है तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने संगठनों में नियोजित करती है।

की थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक 1,930 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के सापेक्ष, मात्र 712 प्रशिक्षितों को नियोजित किया गया था, जिनमें से मात्र पांच का कैप्टिव नियोजन किया गया था। इस प्रकार, परियोजना स्वीकृत होने के चार साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा, मात्र 53 प्रतिशत नियोजन लक्ष्य[56] ही प्राप्त किया गया था, जिसमें से कैप्टिव नियोजन नगण्य (कुल नियोजन का एक प्रतिशत से भी कम) था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर कार्यवाही की जायेगी।

2.3.11.3 संदिग्ध/संशयात्मक नियोजन

नियोजन अभिलेखों[57] की जांच में पाया गया कि एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[58] के 29 प्रशिक्षुओं को, शिक्षक/लैब सहायक/काउंसलर के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में नियोजित किया जाना प्रदर्शित किया गया था, जबकि उन्हें बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विस एवं डोमेस्टिक आई टी हेल्पडेस्क असिस्टेंट के ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया था ***(परिशिष्ट 2.3.7)***। इन प्रशिक्षुओं के नियोजन के सत्यापन[59] में पाया गया कि इन 29 प्रशिक्षुओं में से 24 को संबंधित स्कूल/कॉलेज द्वारा नियोजित नहीं किया गया था तथा एक प्रशिक्षु के सन्दर्भ में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन के समर्थन में प्रस्तुत नियुक्ति पत्र[60] में उल्लिखित इंटर कॉलेज, अंकित पते पर अस्तित्व में ही नहीं था। इस प्रकार, प्रशिक्षुओं के नियोजन के समर्थन में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत नियोजन सम्बन्धी अभिलेख प्रामाणिक नहीं थे एवं उनमें प्रदर्शित नियोजन संदिग्ध थे। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इन नियोजनों के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित अभिलेखों के उपयोग के लिए,

---

[56] प्रशिक्षित 1,930 अभ्यर्थियों में से कम से कम 70 प्रतिशत अर्थात 1,351 अभ्यर्थियों को नियोजन प्राप्त होना था। अतः नियोजन प्रतिशत 712 ÷ 1,351x100 यानि 53 *प्रतिशत* रहा।

[57] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई नियोजित प्रशिक्षुओं की सूची का विश्लेषण कर ऐसे प्रशिक्षुओं को छांटा गया जिनको विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया था एवं उनको स्कूल/कॉलेज में 'शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक' के रूप में नियोजित पाया गया। तत्पश्चात, लेखापरीक्षा दल द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ऐसे 29 प्रशिक्षुओं के नियोजन की स्थिति को उनके नियोक्ता के साथ सत्यापित किया गया।

[58] एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड।

[59] लेखापरीक्षा के अनुरोध पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने संबंधित जनपदों की जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से इन नियोजनों का सत्यापन कराया।

[60] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा नियुक्ति पत्र की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्रशिक्षण एवं नियोजन खर्च के रूप में ₹ 11.12 करोड़ की धनराशि प्राप्त (मार्च 2022) हुई थी तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अभिलेखों के अनुसार, मार्च 2022 तक इसके द्वारा 2,396 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के नियोजन लक्ष्य को प्राप्त किया गया था।

प्रकरण अध्ययन

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं फूड एंड बेवरेज सर्विस-स्टीवर्ड ट्रेड में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को शैक्षणिक संस्थानों में **'सभी विषयों के शिक्षक'** के रूप में नियोजित किया गया था। जैसा कि आसन्न चित्र में दर्शाया गया है, एक प्रशिक्षु के नियुक्ति पत्र में उसे आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बदायूं में 'सभी विषयों के शिक्षक' के रूप में नियुक्त किया जाना प्रदर्शित था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जनपद समन्वयक बदायूं द्वारा उसके नियोजन के सत्यापन पर, कॉलेज द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नियुक्ति पत्र कॉलेज द्वारा निर्गत नहीं किया गया था।

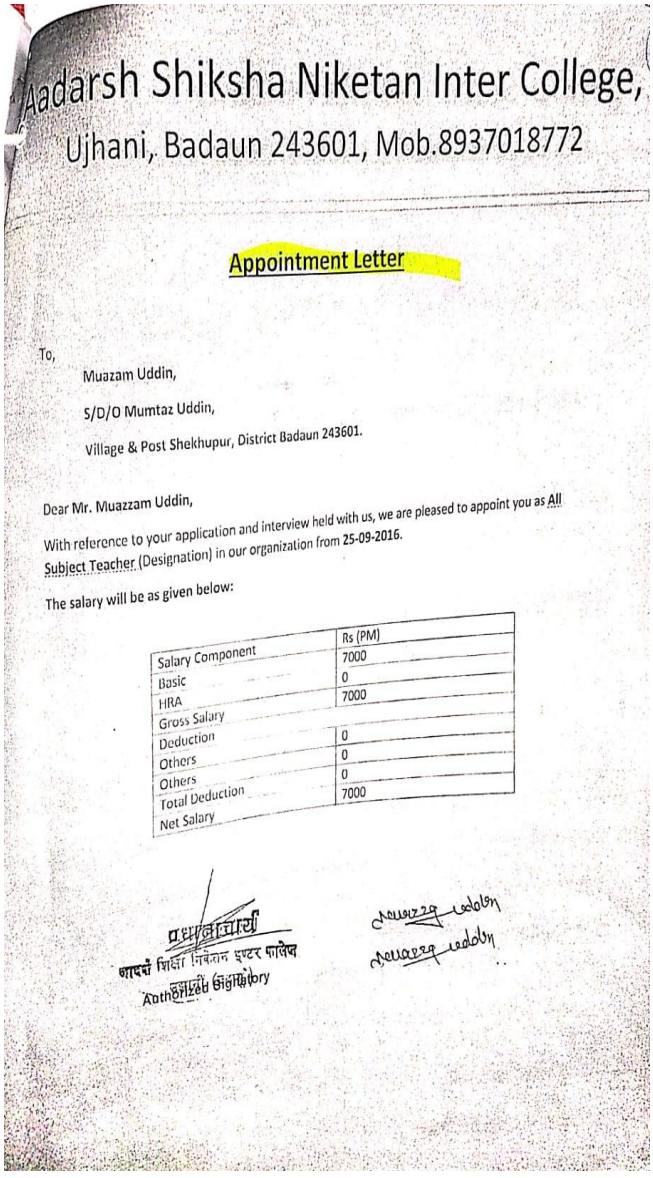

Aadarsh Shiksha Niketan Inter College,
Ujhani, Badaun 243601, Mob.8937018772

Appointment Letter

To,
Muazam Uddin,
S/D/O Mumtaz Uddin,
Village & Post Shekhupur, District Badaun 243601.

Dear Mr. Muazzam Uddin,

With reference to your application and interview held with us, we are pleased to appoint you as All Subject Teacher (Designation) in our organization from 25-09-2016.

The salary will be as given below:

Salary Component	Rs (PM)
Basic	7000
HRA	0
Gross Salary	7000
Deduction	
Others	0
Others	0
Total Deduction	0
Net Salary	7000

प्रधानाचार्य
आदर्श शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज
Authorized Signatory

Muazzam Uddin
Muazzam Uddin

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि उक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की परियोजना को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

राज्य सरकार ने अग्रेतर अवगत कराया की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति आरोपित की जायेगी।

2.3.11.4 नियोजन के समर्थन में संदिग्ध बैंक खाता विवरण प्रस्तुत किया जाना

(i) अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[61] के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दो लाभार्थियों (श्री प्रवीण कुमार एवं सुश्री अशर्फी देवी) को लखनऊ स्थित एन आई एस ए इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 'सिक्योरिटी गार्ड' के रूप नियोजित दर्शाया गया था। इन लाभार्थियों का वेतन, कॉर्पोरेशन बैंक (विलय के बाद वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) लखनऊ की जुनाबगंज, बंथरा शाखा में खोले गए बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाना दर्शाया गया था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत बैंक खाता विवरण के अनुसार, माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2018 का वेतन, माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2018 की तिथि 5 को उक्त बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाना दर्शाया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इन बैंक खातों तथा बैंक खाता विवरणों के सत्यापन के अनुरोध पर, कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि बैंक खाता विवरण[62] बैंक के अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे एवं बैंक द्वारा उक्त दोनों लाभार्थियों के 1 मार्च 2018 से 31 मई 2018 तक की अवधि के वास्तविक बैंक खाता विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए। वास्तविक बैंक खाता विवरणों की जाँच करने पर पाया गया कि इन दोनों खातों में वेतन की धनराशि हस्तांतरित करने हेतु कोई लेन-देन नहीं हुआ था, जैसा कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरणों में दर्शाया गया था।

---

[61] न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड।

[62] यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि श्री प्रवीण कुमार के पुराने खाता संख्या 162100101006419 एवं सुश्री अशर्फी के खाता संख्या 162100101003594 को, कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के पश्चात क्रमशः नए खाता संख्या 520101259349301 एवं 520101259328347 में परिवर्तित कर दिया गया था।

संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण एवं बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी (श्री प्रवीण कुमार) के संबंध में प्रस्तुत संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Statement for A/c 162100101006419 Between 01-Mar-2018 and 31-May-2018

Client Code	: 2015006419	Branch Code	: 1621
Name	: PRAVIN KUMAR	IFSC Code	: CORP0001621
Address	: VILLAGE-HINDUKHERA, POST-AIN, LUCKNOW-226401 UTTAR PRADESH	Branch Name	: JUNAB GANJ
		Address	: JUNABGANJ CHOWK,LUCKNOW-KANPUR ROAD,JUNABGANJ, BANTHRA, LUCKNOW-226008
Phone	: 9559858983	MICR Code	: 226017021

Date	Particulars	Instrument No	Withdrawals	Deposits	Balance
			Opening Balance		964.59
05-MAR-2018	BY SALARY/NISA IND/FEB-18			10,240.00	11,204.59
08-MAR-2018	ATM WDR 080318 AT LUCKNOW		1,500.00		9,704.59
12-MAR-2018	ATM WDR 120318 AT LUCKNOW		3,000.00		6,704.59
14-MAR-2018	ATM WDR 140318 AT LUCKNOW		2,000.00		4,704.59
05-APR-2018	BY SALARY/NISA IND/MAR-18			10,240.00	14,944.59
08-APR-2018	ATM WDR 080418 AT LUCKNOW		1,500.00		13,444.59
12-APR-2018	ATM WDR 120418 AT LUCKNOW		2,500.00		10,944.59
05-MAY-2018	BY SALARY/NISA IND/APR-18			10,240.00	21,184.59
08-MAY-2018	ATM WDR 080518 AT LUCKNOW		3,000.00		18,184.59
12-MAY-2018	ATM WDR 120518 AT LUCKNOW		1,000.00		17,184.59
14-MAY-2018	ATM WDR 140518 AT LUCKNOW		1,500.00		15,684.59
			Closing Balance		15,684.59

Page 1 of 1

वास्तविक बैंक खाता विवरण के चित्र निम्नवत दर्शाये गए हैं:

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा श्री प्रवीण कुमार के संबंध में उपलब्ध कराया गया वास्तविक बैंक खाता विवरण

Page 1

06-07-2022 15:56:05 UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ

REP27 PRAVIN KUMAR SO RAKESH RAWATREGISTER

Report To :BM
Service OutLet :16212 JUNAB GANJ
Account Number :520101259349301/INR PRAVIN KUMAR SO RAKESH RAWAT
Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

Page 2

06-07-2022 15:56:05 UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ

REP27 PRAVIN KUMAR SO RAKESH RAWAT

Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

Date	Tran Id	Ref Num	Particulars	Debit Amt.	Credit Amt.	Balance Amt.	Contra Date
			Account Opening balance :			1588.00CR	
			Brought Forward :		1,588.00	1,588.00CR	
06-05-2018	XS1202375		BY INT FOR THE PERIOD 01-		14.00	1,602.00CR	
			Total(Curr. INR) :		1,602.00	1,602.00CR	

Manager/Chief Manager
Date :06-07-2022
Signature

*** 2 pages printed. End of report ***

संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण एवं बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक बैंक खाता विवरण के चित्र निम्नवत दर्शाये गए हैं:

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी (सुश्री अशर्फी देवी) के संबंध में प्रस्तुत संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Statement for A/c 162100101003594 Between 01-Mar-2018 and 31-May-2018

Client Code	: 2015003594	Branch Code	: 1621
Name	: ASHRFI DEVI	IFSC Code	: CORP0001621
Address	: VILLAGE-HINDUKHERA, POST-AURAWAN, LUCKNOW-227101 UTTAR PRADESH	Branch Name	: JUNAB GANJ
		Address	: JUNABGANJ CHOWK,LUCKNOW-KANPUR ROAD,JUNABGANJ, BANTHRA, LUCKNOW-226008
Phone	: 8896801663	MICR Code	: 226017021

Date	Particulars	Instrument No	Withdrawals	Deposits	Balance
			Opening Balance		1,086.70
05-MAR-2018	BY SALARY/NISA IND/FEB-18			10,240.00	11,326.70
09-MAR-2018	ATM WDR 090318 AT LUCKNOW		1,000.00		10,326.70
13-MAR-2018	ATM WDR 130318 AT LUCKNOW		2,000.00		8,326.70
16-MAR-2018	ATM WDR 160318 AT LUCKNOW		1,000.00		7,326.70
05-APR-2018	BY SALARY/NISA IND/MAR-18			10,240.00	17,566.70
09-APR-2018	ATM WDR 090418 AT LUCKNOW		3,000.00		14,566.70
13-APR-2018	ATM WDR 130418 AT LUCKNOW		1,500.00		13,066.70
05-MAY-2018	BY SALARY/NISA IND/APR-18			10,240.00	23,306.70
09-MAY-2018	ATM WDR 090518 AT LUCKNOW		2,000.00		21,306.70
13-MAY-2018	ATM WDR 130518 AT LUCKNOW		2,500.00		18,806.70
16-MAY-2018	ATM WDR 160518 AT LUCKNOW		1,000.00		17,806.70
			Closing Balance		17,806.70

Page 1 of 1

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा सुश्री अशर्फी देवी के संबंध में उपलब्ध कराया गया वास्तविक बैंक खाता विवरण

06-07-2022 15:54:55 UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ Page 1
REP27 ASHARFI WO BAIJNATHREGISTER

Report To :BM
Service Outlet :16212 JUNAB GANJ
Account Number :520101259328347/INR ASHARFI WO BAIJNATH
Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

06-07-2022 15:54:55 UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ Page 2
REP27 ASHARFI WO BAIJNATH
Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

Date	Tran Id	Ref Num	Particulars	Debit Amt.	Credit Amt.	Balance Amt.	Contra Date
			Account Opening balance :			30957.24CR	
			Brought Forward :		30,957.24	30,957.24CR	
05-03-2018	XM273025		SELF	20,000.00		10,957.24CR	
26-03-2018	XM171284		SELF	10,000.00		957.24CR	
16-04-2018	XS8760617		ABB FR CB0633/TSL-020439/		14,000.00	14,957.24CR	
26-04-2018	XM239774		SELF	10,000.00		4,957.24CR	
06-05-2018	XS1204958		BY INT FOR THE PERIOD 01-		68.00	5,025.24CR	
15-05-2018	XS4032205		PMJJBY PREMIUM RENEWAL- 1	330.00		4,695.24CR	
25-05-2018	XS4039334		PMSBY PREMIUM RENEWAL- 16	12.00		4,683.24CR	
			Total(Curr. INR) :	40,342.00	45,025.24	4,683.24CR	

Manager/Chief Manager
Date :06-07-2022
Signature

*** 2 pages printed. End of report ***

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के 11 अन्य नियोजनों के सन्दर्भ में, बैंकों[63] द्वारा सूचित किया गया कि प्रशिक्षु के बैंक खाते में वेतन हस्तांतरित करने के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण, वास्तविक बैंक खाता विवरणों से मेल नहीं खाते थे तथा एक प्रकरण में, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खाता नियोजित प्रशिक्षु का नहीं था ***(परिशिष्ट 2.3.8)*** । इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरणों का उपयोग किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को, परियोजना की कुल लागत ₹ 4.50 करोड़ में से, धनराशि ₹ 3.39 करोड़ का भुगतान (मार्च 2022 तक) कर दिया गया था, जिसके सापेक्ष परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 1,389 प्रशिक्षुओं (लक्ष्य का 103 प्रतिशत) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था तथा 606 प्रशिक्षुओं (लक्ष्य का 62 प्रतिशत) को नियोजित कराया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि उक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की परियोजना के समापन की प्रक्रिया चल रही थी । परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण के उपयोग पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति आरोपित की जायेगी तथा परियोजना के समापन के समय उक्त धनराशि को समायोजित करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान किया जायेगा। तथापि, राज्य सरकार के उत्तर में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध, कूटरचित बैंक खाता विवरण के उपयोग के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विषय में स्पष्टता नहीं थी।

(ii) इसी प्रकार, एक अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[64] द्वारा चार प्रशिक्षुओं के नियोजन के समर्थन में प्रस्तुत बैंक खाता विवरण का सत्यापन पंजाब एंड सिंध बैंक से कराये जाने पर वास्तविक नहीं पाए गए ***(परिशिष्ट 2.3.8)***। बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थियों की खाता संख्या तो सही थी, किन्तु सभी चार खातों के सापेक्ष उल्लिखित लेन-देन असत्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इन प्रशिक्षुओं के नियोजन के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

[63] बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक।

[64] सेंटर ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।

का उपयोग किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना लागत ₹ 4.99 करोड़ के सापेक्ष प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु ₹ 3.75 करोड़ की धनराशि का भुगतान (मार्च 2022 तक) किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति एवं अन्य (वसूली की) कार्यवाही की जाएगी।

(iii) अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[65] द्वारा 10 लाभार्थियों के नियोजन एवं बैंक खातों में उनके वेतन के भुगतान के समर्थन में, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बैंक खाता विवरणों को प्रस्तुत किया गया था। यह देखा गया कि एक ही बैंक के बचत बैंक खाता संख्या के अंकों की संख्या में अंतर था। 10 लाभार्थियों में से, सात लाभार्थियों के बैंक खाते की संख्या 16 अंकों में थी जबकि, तीन बैंक खाते नौ अंकों में थी। यह भी पाया गया कि बैंक खाता विवरण में बैंक शाखा का नाम, उसका पता एवं आईएफएससी कोड का उल्लेख नहीं किया गया था। इन खाता संख्याओं एवं बैंक खाता विवरण का सत्यापन कराये जाने पर, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सूचित किया गया (अप्रैल 2022) कि यह बचत बैंक खाते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से संबंधित नहीं थे। अग्रेतर, यह भी बताया गया कि आज की तिथि तक आईसीआईसीआई बैंक के सभी बचत खातों में 12 अंकों की खाता संख्या होती है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग किये गये ऐसे दो संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण के चित्र निम्नवत है:

[65] पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड।

ICICI Bank | khayaal aapka

MR.AMIT KUMAR
LOHANIKHERA MAWAI GALIBPUR HILAULI MAURAWAN
UTTAR PRADESH-INDIA-209821

Visit **www.icicibank.com**
Dial your Bank **33667777**

NEVER SHARE your Card number , CVV, PIN, OTP, Internet Banking User ID,Password or URN with anyone,even if the caller claims to be a bank employee. Sharing these details can lead to unauthorised access to your account.

STATEMENT SUMMARY for Customer ID: 013395867 as on December 31, 2018

ACCOUNT DETAILS - INR

ACCOUNT TYPE	A/C. BALANCE (I)	FIXED DEPOSITS (LINKED)BAL.(II)	TOTAL BALANCE (I+II)	NOMINATION
Savings A/c: 4629525303518947	471.00	0.00	471.00	Not Registered
TOTAL	471.00	0.00	471.00	

Statement of Transactions in Saving Account Number: 4629525303518947 in INR for the period December 01, 2018 - December 31, 2018

DATE	MODE	PARTICULARS	DEPOSITS	WITHDRAWALS	BALANCE
01-12-2018		B/F			284.00
04-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/4-12-2018/0		100.00	184.00
10-12-2018	ICICI BANK	NEFT-ICICI/953790973-PIPAL TREE ENTERPRISES	7787.00		7971.00
11-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/11-12-2018/0		700.00	7271.00
14-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/14-12-2018/0		1200.00	6071.00
18-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/18-12-2018		900.00	5171.00
21-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/21-12-2018		800.00	4371.00
23-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/23-12-2018		1000.00	3371.00
25-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/25-12-2018/0		500.00	2871.00
27-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/27-12-2018/0		1000.00	1871.00
28-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/28-12-2018/0		200.00	1671.00
31-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/31-12-2018/0		1200.00	471.00
		Total:	7787.00	7600.00	471.00

16 अंकों की बचत बैंक खाता संख्या सहित संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

ICICI Bank | khayaal aapka

MR.AWADHESH KUMAR
VILL-DHANNUPUR PACH-DHANNUPUR BLK-SHIKHAR
POS-KACHHWA DIST-MIRZAPUR.
UTTAR PRADESH-INDIA-231501

Visit **www.icicibank.com**
Dial your Bank **33667777**

NEVER SHARE your Card number , CVV, PIN, OTP, Internet Banking User ID,Password or URN with anyone,even if the caller claims to be a bank employee. Sharing these details can lead to unauthorised access to your account.

STATEMENT SUMMARY for Customer ID: 010154088 as on December 31, 2018

ACCOUNT TYPE	A/C. BALANCE (I)	FIXED DEPOSITS (LINKED)BAL.(II)	TOTAL BALANCE (I+II)	NOMINATION
Savings A/c: 127579654	748.00	0.00	748.00	Not Registered
TOTAL	748.00	0.00	748.00	

Statement of Transactions in Saving Account Number: 127579654 in INR for the period December 01, 2018 - December 31, 2018

DATE	MODE	PARTICULARS	DEPOSITS	WITHDRAWALS	BALANCE
01-12-2018		B/F			561.00
08-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/8-12-2018/0		500.00	61.00
10-12-2018	ICICI BANK	NEFT-ICICI/945994464-PIPAL TREE ENTERPRISES	7787.00		7848.00
11-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/11-12-2018		1300.00	6548.00
15-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/15-12-2018/0		1200.00	5348.00
18-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/18-12-2018		500.00	4848.00
19-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/19-12-2018/0		900.00	3948.00
22-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/22-12-2018/0		1400.00	2548.00
25-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/25-12-2018/0		800.00	1748.00
29-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/29-12-2018		1000.00	748.00
		Total:	7787.00	7600.00	748.00

नौ अंकों की बचत बैंक खाता संख्या सहित संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियोजन प्रदान करने के अपने दावे के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए थे ***(परिशिष्ट 2.3.8)***। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

को मार्च 2022 तक ₹ 4.53 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपरोक्त वर्णित संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता अभिलेखों/विवरणों का उपयोग, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)[66] के खंड 11 का उल्लंघन था तथा अनैतिक आचरण को अपनाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कानून के अनुरूप दंडात्मक अपराध के लिए कार्यवाही आवश्यक रूप से प्रारम्भ की जानी चाहिए थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति एवं अन्य (वसूली की) कार्यवाही की जाएगी।

2.3.11.5 वेतन हस्तांतरण के समर्थन में बैंक खाता विवरण उपलब्ध न होना

डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.2.2.3 के अंतर्गत, नियोजन को न्यूनतम तीन माह की अवधि तक सतत रोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका प्रमाण, या तो वेतन पर्ची के रूप में हो सकता है अथवा नियोक्ता द्वारा वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है जिसमें बैंक खाता विवरण के साथ नियोजित व्यक्ति द्वारा प्राप्त वेतन दर्शाया गया हो ।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[67] द्वारा प्रस्तुत 1,104 नियोजित लाभार्थियों में से 55 लाभार्थियों के नियोजन सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि लाभार्थियों को वेतन भुगतान के समर्थन में बैंक खाता विवरण, केवल तीन लाभार्थियों के ही उपलब्ध थे। शेष 52 लाभार्थियों के लिए वेतन पर्ची उपलब्ध थीं, लेकिन इन लाभार्थियों को वेतन भुगतान के समर्थन में बैंक खाता विवरण उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर, लेखापरीक्षा द्वारा इन 55 लाभार्थियों का मोबाइल फोन के माध्यम से सत्यापन[68] करने पर, उत्तर देने वाले 17 लाभार्थियों में से 16[69]

---

[66] परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनैतिक कार्य एवं उसके परिणाम।

[67] सी एल एजुकेट लिमिटेड।

[68] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं तकनीकी सहायता एजेंसी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मोबाइल कॉल के माध्यम से सत्यापन के लिए यादृच्छिक नमूना के आधार पर 55 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का पांच *प्रतिशत*) का चयन किया गया। इनमें से 38 लाभार्थियों ने गलत मोबाइल नंबर, इनकमिंग सुविधा उपलब्ध न होने *आदि* के कारण फोन कॉल का जवाब नहीं दिया।

[69] तीन उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया तथा अन्य दो ने कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ दी।

लाभार्थियों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें कोई नियोजन प्रदान नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.3.9 अ)*** तथा वे नियोजन के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से अनभिज्ञ थे। इस प्रकार, इन लाभार्थियों के नियोजन से आश्वस्त नहीं हुआ जा सका तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कपटपूर्ण दावे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति एवं अन्य (वसूली की) कार्यवाही की जाएगी।

2.3.11.6 नियोजन[70] का मोबाइल से सत्यापन

नमूना जांच हेतु चयनित 26 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के 554 नियोजित प्रशिक्षार्थियों का सत्यापन[71] अभिलेखों में उपलब्ध उनके मोबाइल फोन नंबरों पर कॉल के माध्यम से किया गया। 554 प्रशिक्षार्थियों में से 180 ने कॉल का उत्तर दिया एवं 374[72] के सन्दर्भ में कॉल पूरी नहीं हो सकी। उत्तर देने वाले 180 प्रशिक्षार्थियों में से-

- 12 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों [73] से संबंधित 49 प्रशिक्षुओं ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें नियोजित नहीं किया गया था, जबकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने उनके नियोजन के अनुसमर्थन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को नियोजन अभिलेख प्रस्तुत किए थे ***(परिशिष्ट 2.3.9 अ)***।
- तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के छः प्रशिक्षुओं[74] द्वारा बताए गए नियोजन के विवरण, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा

---

[70] दिशानिर्देशों (प्रस्तर 1.3.1) के अनुसार, नियोजन को नियमित वेतन के साथ तीन माह तक सतत कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

[71] पांच *प्रतिशत अभ्यर्थियों* का चयन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, तकनीकि सहायता एजेंसी एवं संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मोबाइल फोन कॉल के माध्यम से सत्यापन के लिए यादृच्छिक नमूना आधार पर किया गया।

[72] गलत नंबर, इनकमिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होना आदि के कारण ।

[73] आइडियल इंप्रेशन प्राइवेट लिमिटेड-03, पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड-05, ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड-01, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट-03, इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन-04, रोजगार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड-01, सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट-04, आईसीए एडु स्किल्स लिमिटेड (पी2)-02, मास इन्फोटेक सोसाइटी-02, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-02, सीएल एजुकेट लिमिटेड-16, न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड-06।

[74] ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड - 04, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-1 एवं ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड-1।

प्रस्तुत नियोजन के अभिलेखों (नियोक्ता का नाम) से मेल नहीं खाते थे ***(परिशिष्ट 2.3.9 ब)***।

- छः परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों[75] के 12 प्रशिक्षुओं के प्रकरण में, प्रदत्त नियोजन, संबंधित व्यवसाय से मेल नहीं खाता था जिसमें उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था ***(परिशिष्ट 2.3.9 स)***।
- पांच प्रकरणों में, प्रशिक्षुओं ने शिकायत की कि बैंक खाते के विवरण में प्रदर्शित वेतन भुगतान की धनराशि, वास्तविक वेतन के भुगतान के अनुरूप नहीं थी। तीन[76] प्रकरणों में धनराशि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खाते में स्वयं जमा की गई एवं वापस ले ली गई थी तथा दो[77] प्रकरणों में धनराशि प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं जमा की गई थी ***(परिशिष्ट 2.3.9 द)***।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप उक्त सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध शास्ति एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2.3.11.7 नियोजित प्रशिक्षार्थियों को ट्रैक करने में विफलता

डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के प्रस्तर 1.3.1 (ii) एवं प्रस्तर 4.5 के अनुसार प्रशिक्षितों के नियोजन पश्चात, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उनकी एक वर्ष की अवधि के लिए ट्रैकिंग किये जाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नियोजित प्रशिक्षार्थियों की ट्रैकिंग नहीं की गई थी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पास केवल उन तीन माह की ट्रैकिंग के अभिलेख थे, जिनके दौरान उनके द्वारा प्रशिक्षार्थियों के नियोजन का दावा किया गया था। तथापि, नियोजन के तीन माह से आगे ट्रैकिंग के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तीन माह से आगे प्रशिक्षार्थियों की ट्रैकिंग नहीं की गई थी। योजना के उद्देश्यों के अनुसार प्रशिक्षार्थियों की ट्रैकिंग, प्रशिक्षार्थियों के नौकरी में बने रहने तथा उनके करिअर की प्रगति की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण थी। एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के लिए

---

[75] आईडी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड-03, जेआईटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड -02, टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड-1, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-1, ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड-1, एवन-04।

[76] इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन-1, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-02।

[77] आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड -02।

नियोजित प्रशिक्षार्थियों को ट्रैक करने में विफलता ने उस उद्देश्य को विफल कर दिया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा नियोजित प्रशिक्षुओं को 12 महीने तक ट्रैक करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने अग्रेतर अवगत कराया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा, प्रशिक्षु के नियुक्ति प्रस्ताव पत्र, वेतन पर्ची एवं बैंक खाता विवरण को 3 माह तक अपलोड करने के पश्चात, सम्बंधित प्रशिक्षु को नियोजित माना जाता है तथा उसके सन्दर्भ में भुगतान किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा नियोजित प्रशिक्षुओं को 12 महीने ट्रैक करने के पश्चात कॅरिअर प्रोग्रेशन एवं रिटेंशन सपोर्ट देय था। यदि, नियोजन के पश्चात परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी की ट्रैकिंग नहीं की जाती है, तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को उक्त भुगतान नहीं किया जाता है।

राज्य सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना था कि प्रशिक्षुओं को नियोजन के बाद कम से कम एक वर्ष तक ट्रैक किया जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों तथा तकनीकी सहायता एजेंसी को प्रशिक्षण के बाद कम से कम एक वर्ष तक प्रशिक्षुओं की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जा रहे थे। इस प्रकार, प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों को उनके कैरिअर की प्रगति को ट्रैक करने हेतु डीडीयू-जीकेवाई के उद्देश्य पूर्ण नहीं किये जा सके।

2.3.11.8 नियोजन के अभिलेख प्रस्तुत न करना

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच हेतु चयनित दो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यथा फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड एवं थिंक स्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रदान किये गए प्रशिक्षण/नियोजन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहा, जबकि इनके द्वारा क्रमशः 540 एवं 356 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने तथा 125 एवं 132 प्रशिक्षुओं को नियोजित करने का दावा किया गया था। इसके होते हुए भी, दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना लागत के

सापेक्ष ₹ 5.47 करोड़ की धनराशि का भुगतान[78] माह मार्च 2022 तक किया गया था। अभिलेखों के अभाव में, प्रशिक्षण एवं नियोजन के उनके दावों की सत्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध शास्ति एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.3.12.1 अनुश्रवण

2.3.12.1 उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन/तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा योजना का शिथिल अनुश्रवण

डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों (जुलाई 2016) के प्रस्तर 3.2.1.7 (iii) के अनुसार, योजना के समवर्ती मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अथवा उसकी तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र का द्विमासिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार अनुरोध[79] किये जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन/तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के निरीक्षण से सम्बंधित समेकित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी । तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा नमूना जाँच हेतु चयनित 28 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में से 19 के सम्बन्ध में निरीक्षण की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 19 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा किये गए द्वि-मासिक निरीक्षणों में 57 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक तथा तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा किये गए निरीक्षणों मे 22 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की कमी थी, जैसा कि ***(परिशिष्ट 2.3.10)*** में दर्शाया गया है। *यह* दिशानिर्देशों *में* प्रावधानित परियोजनाओं के समुचित अनुश्रवण में व्याप्त कमियों को प्रदर्शित करता था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) मे बताया गया कि वर्तमान में प्रशिक्षण केन्द्रों तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के नियोजित प्रशिक्षुओं का सत्यापन/निरीक्षण तकनीकी सहायता एजेंसी/केंद्रीय तकनीकी सहायता

[78] फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड- ₹ 2.48 करोड़ एवं थिंक स्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड- ₹ 2.99 करोड़।

[79] 06-07-2022, 22-07-2022, 29-11-2022, 11-01-2023, 18-01-2023 एवं 20-01-2023।

एजेंसी/कौशल विकास मिशन स्तर से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशों में तकनीकी सहायता एजेंसी/उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन हेतु निर्धारित निरीक्षण लक्ष्यों को 2016-22 की अवधि में प्राप्त नहीं किया गया था।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि निरीक्षण में कमी हेतु तकनीकी सहायता एजेंसी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.3.12.2 आंतरिक नियंत्रण तंत्र का शिथिल होना

जैसा कि प्रस्तर 2.3.7.3 (i) में चर्चा की गयी है, दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप, 2016-17 से 2021-22 की अवधि में योजना के कार्यान्वयन, परियोजनाओं की प्रगति तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किये गए नियोजन के समुचित अनुश्रवण हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर समर्पित कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं की गयी थी। जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के एम.आई.एस. प्रबंधकों[80] द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी कि उनके द्वारा डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वार्षिक योजना की परियोजनाओं तथा कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया था एवं दिशानिर्देशों[81] में मोबलाइजेशन, नियोजन तथा ट्रैकिंग हेतु प्रावधानित कार्यकलापों को पूर्ण नहीं किया गया था। यह जनपद स्तर पर अनुश्रवण की कमी तथा एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को परिलक्षित कर रहा था, जिससे परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा परियोजनाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं हो सकी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) मे बताया गया कि वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है तथा योजना का अनुश्रवण जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जनपद समन्वयक/ एम.आई.एस. प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है।

तथ्य यही था कि योजना के कार्यान्वयन हेतु समर्पित कर्मचारी अभी भी उपलब्ध नहीं थे।

---

[80] 14 एमआईएस प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा डीडीयू-जीकेवाई की परियोजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया था एवं उनमें से 03 द्वारा अवगत कराया गया कि केवल नियोजित प्रशिक्षुओं की सूची प्रदान की गई थी।

[81] डीडीयू-जीकेवाई की एसओपी-1 के पैराग्राफ 1.7 में जनपद में डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं हेतु डीपीएमयू के कार्यों यथा अभ्यर्थियों का मोबलाइजेशन, नियोजन एवं ट्रैकिंग तथा उप-जनपद पदाधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण का उल्लेख किया गया है।

2.3.12.3 दिशानिर्देशों में प्रावधानित मानकों के अनुरूप परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकें आयोजित न किया जाना

दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4.2 तालिका 2 क्रमांक 11 के अनुसार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को परियोजना अनुमोदन समिति (पी.ए.सी.) की बैठक आयोजित करे, जिसमें विगत माह के दूसरे मंगलवार तक प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाए। परियोजनाओं के अनुमोदन के साथ ही, स्वीकृत परियोजनाओं में आंशिक परिवर्तन जैसे जनपदों, ट्रेडों आदि में परिवर्तन के प्रस्ताव भी परियोजना अनुमोदन समिति को प्रस्तुत किये जायें।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में, दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना अनुमोदन समिति की कुल 72 बैठकें होनी चाहिए थीं। किन्तु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार इस अवधि में परियोजना अनुमोदन समिति की मात्र 10 बैठकें ही सम्पन्न हुईं। इस प्रकार, परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकें आयोजित करने में 86 प्रतिशत की कमी रही। इसके परिणामस्वरूप कार्य योजना 2016-19 के परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन में भी विलम्ब हुआ क्योंकि दिसंबर 2016 से जुलाई 2018 की अवधि में परियोजना अनुमोदन समिति की मात्र आठ बैठकें ही आयोजित की गईं थी।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकें दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

2.3.12.4 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के *प्रदर्शन का वर्गीकरण न किया जाना*

डीडीयू-जीकेवाई की मानक संचालन प्रक्रिया[82] के अध्याय-9 के अनुसार, मानक संचालन प्रक्रिया एवं/या ए.एस.डी.एम.एस में विनिर्दिष्ट डेटा रिपोर्टिंग तंत्र से डेटा प्राप्त कर सभी परियोजनाओं का सतत वर्गीकरण[83] किया जाना था। उक्त के परिणाम प्रत्येक माह प्रदर्शित किये जाने थे, जिसमें उक्त माह हेतु निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी तथा माह के अंत तक संचयी रूप से निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी का उल्लेख किया जाना था। वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च के अंत) में, किसी वर्ष हेतु परियोजना की निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी तथा

[82] चार मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा: i) भौतिक अवसंरचना गुणवत्ता ii) बैच प्रशिक्षण गुणवत्ता, iii) नियोजन गुणवत्ता एवं vi) परियोजना निष्पादन गुणवत्ता।

[83] डीडीयू-जीकेवाई के लिए विकसित की जाने वाली ईआरपी प्रणाली का नाम।

परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर उक्त वर्ष के अंत तक संचयी रूप से निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी, दोनों को परियोजना की वार्षिक वर्गीकृत श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। उक्त वर्गीकरण का उद्देश्य अच्छी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहित करने तथा दूसरों को सुधरने के लिए प्रेरित करने हेतु एक मजबूत आधार की स्थापना करना था। प्रावधानों के अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अपने राज्य में परियोजनाओं के वर्गीकरण पर परामर्श हेतु एक राज्य स्तरीय समन्वयक को नामित किया जाना चाहिए था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इस अवधि में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के वर्गीकरण हेतु आवश्यक राज्य स्तरीय समन्वयक की नियुक्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार, डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं में संलग्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन को निर्धारित मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सका, जो अनुश्रवण का एक महत्वपूर्ण पक्ष था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) मे बताया गया कि वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का वर्गीकरण किया गया है। उक्त वर्गीकरण परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित एवं नियोजित किए गए प्रशिक्षुओं के आधार पर किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि निम्न वर्गीकरण वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की समीक्षा बैठक में उन्हें अपनी प्रगति में सुधार करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा बताया (जनवरी 2024) गया कि परियोजनाओं का वर्गीकरण सितंबर 2022 में आरम्भ किया गया था।

तथ्य यही था कि वर्ष 2016-22 की अवधि में अनुश्रवण के एक महत्वपूर्ण पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा की गयी थी।

2.3.13 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन में, 2016-22 की अवधि में विभिन्न कमियां पायी गयीं। प्रभावी आयोजना के लिए न तो कौशल अंतर आंकलन किया गया था तथा न ही श्रम बाजार का अध्ययन। योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना की 22 परियोजनाओं एवं कार्य योजना की 88 परियोजनाओं पर धनराशि ₹ 514.35 करोड़ का व्यय किया गया था, परन्तु नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति में क्रमशः 39 प्रतिशत एवं 76 प्रतिशत की विचारणीय कमी देखी गई, जो की

योजना का सार था। वार्षिक योजना की परियोजनाएं एवं कार्य योजना की परियोजनाएं दोनों ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं की जा सकी तथा प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के खराब प्रदर्शन एवं दोषपूर्ण कार्य के लिए उनके विरुद्ध समय पर कार्यवाही करने में असफल एवं इसके बजाय अनियमित समय विस्तार देकर उन्हें अनुचित लाभ प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की निष्क्रियता के कारण दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से अवमुक्त की गई धनराशि की दंडात्मक ब्याज सहित वसूली नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा नियोजन से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में कैप्टिव नियोजन की प्रतिबद्धता को पूरा न करने, कपटपूर्ण नियुक्ति पत्रों, कपटपूर्ण बैंक खातों के उपयोग एवं योजना के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रदान करने के अपने दावों के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संदिग्ध बैंक खाता विवरणों के उपयोग किये जाने के प्रकरणों का पता चला। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा असत्य एवं कूटरचित अभिलेखों के उपयोग के कई प्रकरणों ने, उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण एवं नियोजन के दावों पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न लगा दिया था। अतः इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता था। यह संकेत करता था कि आवश्यक आंतरिक जांच एवं अनुश्रवण, विशेष रूप से नियोजन के सत्यापन से संबंधित, में कमी थी एवं वह प्रभावी नहीं थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, धनराशि निर्गत करने में विलम्ब, प्रशासनिक निधि की उपलब्धता के बाद भी समर्पित कर्मचारियों की तैनाती न करना, पहचान किए गए आपत्ति कारकों पर विचार किए बिना परियोजनाओं को आवंटित करना, तकनीकी सहायता एजेंसी एवं परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं, खराब प्रदर्शन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन, कार्य योजना 2019-22 में प्रशिक्षण लक्ष्यों की कम स्वीकृति, एवं अनुश्रवण में कमी जैसे प्रकरण भी पाए गए। इस प्रकार, लेखा परीक्षा में पहचान की गई कमियों के आधार पर योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता थी।

2.3.14 अनुशंसायें

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- *कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजार के अध्ययन के आधार पर राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना को बनाया जाना सुनिश्चित करे। अग्रेतर, योजना के कार्यान्वयन एवं उसकी व्यापक आयोजना के लिए राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।*
- *समय पर धनराशि निर्गत/उपयोग करने तथा ब्याज की देयता के सृजन से बचने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग के मध्य आपसी समन्वय सुनिश्चित करे।*
- *परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन का आंकलन करे एवं पिछली परियोजनाओं में प्रशिक्षण एवं नियोजन के दावे को सत्यापित करे।*
- *दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रकरण में दंडात्मक ब्याज के साथ अवमुक्त की गई धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही करे।*
- *नियोजन एवं प्रशिक्षण के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के दावों की वास्तविकता को आश्वस्त करने तथा असत्य दावों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण सहित नियोजन के अभिलेखों की समीक्षा करे।*
- *कौशल विकास योजना के सुचारू कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य, जनपद तथा उप-जनपद स्तर पर समर्पित कौशल टीम की तैनाती सुनिश्चित करे।*

राज्य सरकार द्वारा अनुशंसाओं पर सहमति व्यक्त करते हुये उन्हें स्वीकार किया (अगस्त 2023) गया।